राजस्थान सरकार

कार्यालय संभागीय आयुक्त, जयपुर संभाग, जयपुर

RG

क्रमांक : एफ. 3(92)का.व्य./2019/588

रजिस्टर्ड

दिनांक : 11/11/2019

श्री देवदत्त मुखोपाध्याय,
ई–215, तीसरी मंजिल,
ईस्ट ऑफ कैलाश,
नई दिल्ली–110065

विषय :– सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत आवेदन बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आप द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत इस कार्यालय से सम्बन्धित चाही गई सूचना कुल पृष्ठ 50 संलग्न कर भिजवायी जा रही है।

सहायक लोक सूचना अधिकारी
सहायक राजस्व लेखाधिकारी
ग्रेड प्रथम, जयपुर

कार्यालय संभागीय आयुक्त, जयपुर संभाग, जयपुर

क्रमांक : प. 3(92)का.व्य./2017/

दिनांक : 9.9.2017

आदेश

पुलिस आयुक्त, जयपुर ने अपने पत्र क्रमांक 25277 दिनांक 9.9.2017 द्वारा अवगत कराया है कि "जयपुर शहर में थाना रामगंज क्षेत्र एवं इसके आसपास के क्षेत्रों में दिनांक 8.9.2017 की संध्या को असामाजिक तत्वों द्वारा विधि विरूद्ध कार्यवाही करते हुए पुलिस कर्मियों पर हमला किया है तथा सरकारी व निजी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया है, इससे थाना रामगंज व आसपास के क्षेत्रों में कानून व्यवस्था एवं लोक शान्ति भंग हुई है। इस संबंध में विश्वसनीय सूचना प्राप्त हुई है कि असामाजिक तत्व कानून व्यवस्था की स्थिति को निरन्तर विपरीत रूप से प्रभावित करने, लोक शान्ति भंग करने तथा सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने की मंशा रखते हैं और इस गलत उद्देश्य की पूर्ति हेतु इन्टरनेट, सोशल मीडिया एवं अन्य Bulk Communication साधनों का उपयोग करने पर तत्पर हैं। ऐसी परिस्थिति में प्रभावी निरोधात्मक कार्यवाही किया जाना आवश्यक है।"

अतः जयपुर आयुक्तालय क्षेत्र में कानून व्यवस्था, साम्प्रदायिक सौहार्द एवं लोक सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए भारत सरकार के संचार मंत्रालय की अधिसूचना Temporary Suspensions of Telecom Servixes (Public Emergency or Public Safety)Rules-2017 दिनांक 7.8.2017 के नियम 2 (1) के तहत गृह (ग्रुप–9) विभाग, राजस्थान सरकार के पत्र क्रमांक एफ 35 (1)होम–9/2006 पार्ट दिनांक 2.9.2017 के अंतर्गत दी गई शक्तियों के अनुसरण में, मैं राजेश्वर सिंह, संभागीय आयुक्त, जयपुर, पुलिस आयुक्तालय, जयपुर के समस्त थाना क्षेत्रों में सेवायें – 2G/3G/4G DATA (Mobile Internet), Internet Services, Bulk SMS/MMS, Whatsapp, Facebook, Twetter & Other Social Media Services through Internet Service providers (Escept Voice Calls) पर दिनांक 9.9.2017 को प्रातःकाल 6 बजे से दिनांक 10.9.2017 की रात्रि 11.59 पी.एम. तक अस्थाई प्रतिबंध लागू करता हूं।

मैं, सभी नागरिकों को इस आदेश की पालना करने एवं अवहेलना नहीं करने के निर्देश देता हूं। यदि कोई व्यक्ति उपर्युक्त प्रतिबंधात्मक आदेशों का उल्लंघन करेगा तो वह सक्षम विधिक प्रावधानों के अंतर्गत अभियोजित किया जा सकेगा।

यह आदेश आज दिनांक 9.9.2017 को प्रातःकाल 6 बजे से दिनांक 10.9.2017 की रात्रि 11.59 पी.एम. तक पुलिस आयुक्तालय, जयपुर के समस्त थाना क्षेत्रों में प्रभावी रहेगा।

यह आदेश आज दिनांक 9.9.2017 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय की मुद्रा से जारी किया गया है।

(राजेश्वर सिंह)
संभागीय आयुक्त
जयपुर

दिनांक : 9.9.2017

क्रमांक : प. 3(92)का.व्य./2017/ 377–84

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. प्रमुख शासन सचिव, गृह विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. शासन सचिव, गृह विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. पुलिस आयुक्त, जयपुर।
5. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर।
6. नोडल अधिकारी, टेलीकॉम भारत संचार निगम लिमिटेड लि., ऐयरटेल, वोडाफोन, आईडिया, एयरसेल, एमटीएस, टाटा, रिलायन्स, जिओ आदि को पालनार्थ (द्वारा पुलिस आयुक्त, जयपुर)।
7. सहायक निदेशक, सूचना एवं जन संपर्क कार्यालय, जयपुर को व्यापक प्रचार–प्रसार हेतु।
8. रक्षित पत्रावली।

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत
अधिप्रमाणित

संभागीय आयुक्त
(राजेश्वर सिंह)
संभागीय आयुक्त

कार्यालय संभागीय आयुक्त, जयपुर संभाग, जयपुर

10

क्रमांकः- प. 3 (92) का.व्य. /2017 / 385-92 दिनांकः- 10.09. 2017

आदेश

पुलिस आयुक्त जयपुर ने अपने पत्रांक 25377 दिनांक 10.09.2017 द्वारा अवगत कराया गया है कि जयपुर शहर में थाना रामगंज क्षेत्र एवम् इसके आस पास के क्षेत्रों में दिनांक 08.09.2017 की संध्या को असामाजिक तत्वों द्वारा विधि विरुद्ध कार्यवाही करते हुये पुलिस कर्मियों पर हमला किया है तथा सरकारी व निजी सम्पत्तियों को नुकसान पहुंचाया है, इससे थाना रामगंज व आस पास के क्षेत्रों में कानून व्यवस्था एवं लोक शान्ति भंग हुई है। इस सम्बन्ध में विश्वसनीय सूचना प्राप्त हुई है कि असामाजिक तत्व कानून व्यवस्था की स्थिति को निरन्तर विपरीत रुप से प्रभावित करने, लोक शान्ति भंग करने तथा सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने की मंशा रखते हैं और इस गलत उद्देश्य की पूर्ति हेतु इन्टरनेट, सोशल मिडिया एवम् अन्य Bulk Communication साधनों का उपयोग करने पर तत्पर है। ऐसी परिस्थिति में प्रभावी निरोधात्मक कार्यवाही किया जाना आवश्यक है।

अतः जयपुर आयुक्तालय क्षेत्र में कानून व्यवस्था, साम्प्रदायिक सौहार्द एवम् लोक सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुये भारत सरकार के संचार मंत्रालय की अधिसूचना Temporary Suspensions of Telecom Services (Public Emergency or Public Safety) Rules-2017, दिनांक 07.08.2017 के नियम 2 (1) के तहत गृह (ग्रुप-9) विभाग, राजस्थान सरकार के पत्रांक एफ 35(1) होम-9 /2006 पार्ट दिनांक 02.09.2017 के अन्तर्गत दी गई शक्तियों के अनुसरण में, मैं राजेश्वर सिंह, संभागीय आयुक्त, जयपुर, पुलिस आयुक्तालय, जयपुर के थाना रामगंज, सुभाष चौक, गलता गेट, माणक चौक, जालुपुरा, कोतवाली, नाहरगढ़, ब्रह्मपुरी, शास्त्रीनगर, संजय सर्किल, भट्टा बस्ती, ट्रांसपोर्ट नगर, आदर्शनगर एवम् लालकोठी के क्षेत्रों में सेवाएं- 2G / 3G / 4G DATA (Mobile Internet), Internet Services , Bulk SMS / MMS, Whatsapp, Facebook, Twitter & Other Social Media Services through Internet Service providers (Except Voice Calls) पर दिनांक 10.09.2017 को मध्य रात्रि (11.59 पी.एम) से दिनांक 11.09.2017 की मध्य रात्रि (11.59 पी.एम) तक अस्थाई प्रतिबन्ध लागू करता हूं।

मैं, सभी नागरिकों को इस आदेश की पालना करने एवम् अवहेलना नहीं करने के निर्देश देता हूं। यदि कोई व्यक्ति, उपर्युक्त प्रतिबंधात्मक आदेशों का उल्लघंन करेगा तो वह सक्षम विधिक प्रावधानों के अन्तर्गत अभियोजित किया जा सकेगा।

यह आदेश आज दिनांक 10.09.2017 की मध्यरात्रि (11.59 पी.एम) से दिनांक 11.09.2017 की मध्य रात्रि (11.59 पी.एम) तक पुलिस आयुक्तालय जयपुर के थाना रामगंज, सुभाष चौक, गलता गेट, माणक चौक, जालुपुरा, कोतवाली, नाहरगढ़, ब्रह्मपुरी, शास्त्रीनगर, संजय सर्किल, भट्टा बस्ती, ट्रांसपोर्ट नगर, आदर्शनगर एवम् लालकोठी के क्षेत्रों में प्रभावी रहेगा।

यह आदेश आज दिनांक 10.09.2017 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय की मुद्रा से जारी किया गया है।

(राजेश्वर सिंह)
संभागीय आयुक्त, जयपुर

क्रमांकः- प. 3 (92) का.व्य. /2017 / 385-92 दिनांकः- 10.09. 2017

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-

1. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. प्रमुख शासन सचिव, गृह विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. शासन सचिव, गृह विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. पुलिस आयुक्त, जयपुर।
5. जिला कलेक्टर एवम् जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर।
6. नोडल अधिकारी , टेलीकॉम भारत संचार निगम लिमिटेड, एयरटेल, वोड़ाफोन, आईडिया, एयरसेल, एमटीएस, टाटा, रिलायन्स, जियो आदि को पालनार्थ (द्वारा पुलिस आयुक्त जयपुर)
7. सहायक निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क कार्यालय, जयपुर को व्यापक प्रचार प्रसार हेतु।
8. रक्षित पत्रावली

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अधिकृत

संभागीय आयुक्त,
जयपुर

/14

कार्यालय संभागीय आयुक्त, जयपुर संभाग, जयपुर

क्रमांकः- प. 3 (92) का.व्य. /2017/393-406 दिनांकः- 11.09. 2017

आदेश

पुलिस आयुक्त जयपुर ने अपने पत्रांक 25377 दिनांक 10.09.2017 द्वारा अवगत कराया गया है कि जयपुर शहर में थाना रामगंज क्षेत्र एवम् इसके आस पास के क्षेत्रों में दिनांक 08.09.2017 की संध्या को असामाजिक तत्वों द्वारा विधि विरुद्ध कार्यवाही करते हुये पुलिस कर्मियों पर हमला किया है तथा सरकारी व निजी सम्पत्तियों को नुकसान पहुंचाया है, इससे थाना रामगंज व आस पास के क्षेत्रों में कानून व्यवस्था एवं लोक शान्ति भंग हुई है। इस सम्बन्ध में विश्वसनीय सूचना प्राप्त हुई है कि असामाजिक तत्व कानून व्यवस्था की स्थिति को निरन्तर विपरीत रुप से प्रभावित करने, लोक शान्ति भंग करने तथा सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने की मंशा रखते है और इस गलत उद्देश्य की पूर्ति हेतु इन्टरनेट, सोशल मिडिया एवम् अन्य Bulk Communication साधनों का उपयोग करने पर तत्पर है। ऐसी परिस्थिति में प्रभावी निरोधात्मक कार्यवाही किया जाना आवश्यक है।

अतः जयपुर आयुक्तालय क्षेत्र में कानून व्यवस्था, साम्प्रदायिक सौहार्द एवम् लोक सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुये भारत सरकार के संचार मंत्रालय की अधिसूचना Temporary Suspensions of Telecom Services (Public Emergency or Public Safety) Rules-2017, दिनांक 07.08.2017 के नियम 2 (1) के तहत गृह (ग्रुप-9) विभाग, राजस्थान सरकार के पत्रांक एफ 35 (1) होम-9 /2006 पार्ट दिनांक 02.09.2017 के अन्तर्गत दी गई शक्तियों के अनुसरण में, मैं राजेश्वर सिंह, संभागीय आयुक्त, जयपुर, पुलिस आयुक्तालय, जयपुर के थाना रामगंज, सुभाष चौक, गलता गेट, माणक चौक, जालुपुरा, कोतवाली, नाहरगढ़, ब्रह्मपुरी, शास्त्रीनगर, संजय सर्किल, भट्टा बस्ती, ट्रांसपोर्ट नगर, आदर्शनगर एवम् लालकोठी के क्षेत्रों में सेवाएं- 2G / 3G / 4G DATA (Mobile Internet), Internet Services , Bulk SMS / MMS, Whatsapp, Facebook, Twitter & Other Social Media Services through Internet Service providers (Except Voice Calls & Broadband Internet) पर दिनांक 10.09.2017 को मध्य रात्रि (11.59 पी.एम) से दिनांक 11.09.2017 की मध्य रात्रि (11.59 पी.एम) तक अस्थाई प्रतिबन्ध लागू करता हूं।

मैं, सभी नागरिकों को इस आदेश की पालना करने एवम् अवहेलना नहीं करने के निर्देश देता हूं। यदि कोई व्यक्ति, उपर्युक्त प्रतिबंधात्मक आदेशों का उल्लघंन करेगा तो वह सक्षम विधिक प्रावधानों के अन्तर्गत अभियोजित किया जा सकेगा।

यह आदेश आज दिनांक 11.09.2017 की मध्यरात्रि (11.59 पी.एम) से दिनांक 12.09.2017 की मध्य रात्रि (11.59 पी.एम) तक पुलिस आयुक्तालय जयपुर के थाना रामगंज, सुभाष चौक, गलता गेट, माणक चौक, जालुपुरा, कोतवाली, नाहरगढ़, ब्रह्मपुरी, शास्त्रीनगर, संजय सर्किल, भट्टा बस्ती, ट्रांसपोर्ट नगर, आदर्शनगर एवम् लालकोठी के क्षेत्रों में प्रभावी रहेगा।

यह आदेश आज दिनांक 11.09.2017 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय की मुद्रा से जारी किया गया है।

संभागीय आयुक्त जयपुर

(राजेश्वर सिंह)
संभागीय आयुक्त, जयपुर

क्रमांकः- प. 3 (92) का.व्य. /2017/393-400 दिनांकः- 11.09. 2017

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-

1. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. प्रमुख शासन सचिव, गृह विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. शासन सचिव, गृह विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. पुलिस आयुक्त, जयपुर।
5. जिला कलेक्टर एवम् जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर।
6. नोडल अधिकारी , टेलीकॉम भारत संचार निगम लिमिटेड, एयरटेल, वोड़ाफोन, आईडिया, एयरसेल, एमटीएस, टाटा, रिलायन्स, जियो आदि को पालनार्थ (द्वारा पुलिस आयुक्त जयपुर)
7. सहायक निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क कार्यालय, जयपुर को व्यापक प्रचार प्रसार हेतु।
8. रक्षित पत्रावली

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत
अभिप्रमाणित

17

कार्यालय संभागीय आयुक्त, जयपुर संभाग, जयपुर

क्रमांकः- प. 3 (92) का.व्य. /2017 / दिनांकः- 12.09. 2017

आदेश

पुलिस आयुक्त जयपुर ने अपने पत्रांक 25536 दिनांक 12.09.2017 द्वारा अवगत कराया गया है कि जयपुर शहर में थाना रामगंज क्षेत्र एवम् इसके आस पास के क्षेत्रों में दिनांक 08.09.2017 की संध्या को असामाजिक तत्वों द्वारा विधि विरुद्ध कार्यवाही करते हुये पुलिस कर्मियों पर हमला किया है तथा सरकारी व निजी सम्पत्तियों को नुकसान पहुंचाया है, इससे थाना रामगंज व आस पास के क्षेत्रों में कानून व्यवस्था एवं लोक शान्ति भंग हुई है। इस सम्बन्ध में विश्वसनीय सूचना प्राप्त हुई है कि असामाजिक तत्व कानून व्यवस्था की स्थिति को निरन्तर विपरीत रुप से प्रभावित करने, लोक शान्ति भंग करने तथा सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने की मंशा रखते है और इस गलत उद्देश्य की पूर्ति हेतु इन्टरनेट, सोशल मिडिया एवम् अन्य Bulk Communication साधनों का उपयोग करने पर तत्पर है। ऐसी परिस्थिति में प्रभावी निरोधात्मक कार्यवाही किया जाना आवश्यक है।

अतः जयपुर आयुक्तालय क्षेत्र में कानून व्यवस्था, साम्प्रदायिक सौहार्द एवम् लोक सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुये भारत सरकार के संचार मंत्रालय की अधिसूचना Temporary Suspensions of Telecom Services (Public Emergency or Public Safety) Rules-2017,दिनांक 07.08.2017 के नियम 2 (1) के तहत गृह (ग्रुप-9) विभाग, राजस्थान सरकार के पत्रांक एफ 35(1) होम-9 /2006 पार्ट दिनांक 02.09.2017 के अन्तर्गत दी गई शक्तियों के अनुसरण में, मैं राजेश्वर सिंह, संभागीय आयुक्त, जयपुर, पुलिस आयुक्तालय, जयपुर के थाना रामगंज, सुभाष चौक, गलता गेट, माणक चौक, के क्षेत्रों में सेवाएं-2G/3G/4G DATA (Mobile Internet), Internet Services , Bulk SMS / MMS, Whatsapp, Facebook, Twitter & Other Social Media Services through Internet Service providers (Except Voice Calls& Broadband Internet)पर दिनांक 12.09.2017 को मध्य रात्रि (11.59 पी.एम) से दिनांक 13.09.2017 की मध्य रात्रि (11.59 पी.एम) तक अस्थाई प्रतिबन्ध लागू करता हूं।

मैं, सभी नागरिकों को इस आदेश की पालना करने एवम् अवहेलना नहीं करने के निर्देश देता हूं। यदि कोई व्यक्ति, उपर्युक्त प्रतिबंधात्मक आदेशों का उल्लघंन करेगा तो वह सक्षम विधिक प्रावधानों के अन्तर्गत अभियोजित किया जा सकेगा।

यह आदेश आज दिनांक 12.09.2017 की मध्यरात्रि (11.59 पी.एम) से दिनांक 13.09.2017 की मध्य रात्रि (11.59 पी.एम) तक पुलिस आयुक्तालय जयपुर के थाना रामगंज, सुभाष चौक, गलता गेट, माणक चौक, के क्षेत्रों में प्रभावी रहेगा।

यह आदेश आज दिनांक 12.09.2017 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय की मुद्रा से जारी किया गया है।

(राजेश्वर सिंह)
संभागीय आयुक्त, जयपुर

क्रमांकः- प. 3 (92) का.व्य. /2017 / 401 – 8 दिनांक 12.09.2017

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-

1. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. प्रमुख शासन सचिव, गृह विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर ।
3. शासन सचिव, गृह विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर ।
4. पुलिस आयुक्त, जयपुर।
5. जिला कलेक्टर एवम् जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर।
6. नोडल अधिकारी , टेलीकॉम भारत संचार निगम लिमिटेड, एयरटेल, वोड़ाफोन, आईडिया, एयरसेल, एमटीएस, टाटा, रिलायन्स, जियो आदि को पालनार्थ (द्वारा पुलिस आयुक्त जयपुर)
7. सहायक निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क कार्यालय, जयपुर को व्यापक प्रचार प्रसार हेतु।
8. रक्षित पत्रावली

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत
अधिप्रमाणित

संभागीय आयुक्त, जयपुर

राजस्थान–सरकार

कार्यालय संभागीय आयुक्त, जयपुर संभाग, जयपुर

55

क्रमांक : प. 3 (92) का.व्य./संआज./2017/97 दिनांकः 28.02.2018

आदेश

जिला कलेक्टर, झुंझुनू ने अपने पत्रांक : प. 16(6)(3)न्याय /2008 /480 दिनांक 23.02.18 द्वारा अवगत कराया है कि "असामाजिक तत्वों द्वारा जिला झुंझुनू के कस्बा नवलगढ में गैर जुलूस के अवसर के दौरान सोशल मीडिया पर अनेक प्रकार की अफवाहें फैलाई जाने की संभावना है, जिससे कि, कानून–व्यवस्था की स्थिति को प्रभावित कर साम्प्रदायिक सद्भाव प्रतिकूल रूप से बाधित होने की आशंका उत्पन्न हो सकती है। ऐसी स्थिति में सामाजिक सद्भाव एवं लोक शांति बनाये रखने हेतु निरोधात्मक कार्यवाही किया जाना आवश्यक है।"

अतः झुंझुनू के उपखण्ड क्षेत्र नवलगढ क्षेत्र में कानून–व्यवस्था, साम्प्रदायिक सौहार्द एवं लोक सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए भारत सरकार के संचार मंत्रालय की अधिसूचना Temporary Suspensions of Telecom Services (Public Emergency or Public Safety) Rules- 2017, दिनांक 7.8.2017 के नियम 2(1) के तहत गृह (ग्रुप–9) विभाग, राजस्थान सरकार के पत्रांक : एफ 35(1) होम–9 /2006 पार्ट दिनांक 02.09.2017 के अंतर्गत दी गई शक्तियों के अनुसरण में, मैं राजेश्वर सिंह, संभागीय आयुक्त, जयपुर झुंझुनू जिले के उपखण्ड नवलगढ़ के समस्त थाना क्षेत्रों में सेवाऐं 2G / 3G /4G DATA (Mobile Internet), Internet Services, Bulk SMS/ MMS, Whatsapp, Facebook, Twitter & Other Social Media Services through Internet Service providers (Except Voice Calls of landline and mobile Phone) पर दिनांक 01.03.2018 को रात्रि 08.00 बजे से दिनांक 02.03.2018 को रात्रि 08.00 बजे तक अस्थाई प्रतिबन्ध लागू करता हूँ ।

मैं, सभी नागरिकों को इस आदेश की पालना करने एवम् अवहेलना नहीं करने के निर्देश देता हूँ। यदि कोई व्यक्ति, उपर्युक्त प्रतिबंधात्मक आदेशों का उल्लंघन करेगा तो वह सक्षम विधिक प्रावधानों के अन्तर्गत अभियोजित किया जा सकेगा ।

यह आदेश दिनांक 1.3.2018 को रात्रि 8.00 बजे (8.00PM) से दिनांक 2.3.2018 को रात्रि 8.00 बजे (8.00PM) तक झुंझुनू जिले के उपखण्ड नवलगढ़ के समस्त थाना क्षेत्रों में प्रभावी रहेगा ।

यह आदेश आज दिनांक 28.02.2018 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय की मुद्रा से जारी किया गया है ।

(राजेश्वर सिंह)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर

क्रमांक : प. 3 (92) का.व्य./संआज./2017/98–112 दिनांक : 28.02.2018

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर ।
2. प्रमुख शासन सचिव, गृह विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर ।
3. शासन सचिव, गृह विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर ।
4. जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, झुंझुनू ।
5. पुलिस अधीक्षक, झुंझुनू ।
6. नोडल अधिकारी, टेलीकॉम भारत संचार निगम लिमिटेड, एयरटेल, वोडाफोन, आईडिया, एयरसेल, एम.टी.एस., टाटा, रिलायन्स, जियो आदि को पालनार्थ (द्वारा पुलिस अधीक्षक झुंझुनू) ।
7. जिला सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी, झुंझुनू को व्यापक प्रचार–प्रसार हेतु ।
8. रक्षित पत्रावली ।

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत
अधिप्रमाणित

संभागीय आयक्त.

।। कार्यालय पुलिस आयुक्त जयपुर ।।

कमांक :–व–17( )पु.आ.ज./2018/7905

दिनांकः–09.04.2018

संभागीय आयुक्त,
जयपुर ।

विषय–पुलिस आयुक्तालय जयपुर के समस्त थाना क्षेत्रो में सेवाएं– 2G/3G/4G DATA (MOBILE INTERNET (INTERNET SERVIECE- BULK SMS/MMS, WHATSAPP, FACEBOOK, TWITTER AND OTHER SOCIAL MEDIA SERVICE THROUGH INTERNET SERIVCE PROVIDERS {EXCEPT VOICE CALLS } पर प्रतिबंध के कम में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनुसूचित जाति/जनजाति अधिनियम के अन्तर्गत गत माह दिये गये निर्णय के विरोध में अनुसूचित जाति/जनजाति संगठनों की ओर से दिनांक 02.04.2018 को भारत बंद का आयोजन किया गया था। इस आयोजन के दौरान जयपुर शहर में वाहनो में तोडफोड एवं जबरन बाजार बंद करदाने जैसी घटनाऐं घटित हुई थी। इसी कम में गत कुछ दिनो से सोशल मीडिया एवं वाटसएप पर दिनांक 10.04.2018 को सामान्य वर्ग के लोगो द्वारा भारत बंद कि ये जाने का संदेश जोर शोर से प्रसारित किया जा रहा है एवं सोशल मीडिया, वाटसएप, फेसबुक पर प्रसारित संदेशों एवं अन्य आसूचना स्त्रोतों से ये ज्ञात हुआ है कि असामाजिक तत्व जयपुर शहर मे कानून व्यवस्था की स्थिति को निरंतर विपरीत रूप से प्रभावित करने, लोकशान्ति भंग करनें एंव सामाजिक सौहार्द को बिगाडने की मंशा रखते है, एंव अपने इस गलत उदेश्य की पूर्ति हेतु संचार साधनो इन्टरनेट ,सोशल मिडिया एंव अन्य कम्यूनिकेशन साधनो का उपयोग करने पर तत्पर है। ऐसी परिस्थिति में प्रभावी निरोधात्मक कार्यवाही किया जाना आवश यक है।

अतः जयपुर आयुक्तालय मे कानून व्यवस्था, सामाजिक सौहार्द एवं लोक सुरक्षा को मध्यनजर रखते हुए भारत सरकार के संचार मंत्रालय की अधिसूचना Temporery Suspension of Telicom Serivices Ruls 2017 (Public Emergency or Public Sefty) Rules 2017 दिनांक 07 अगस्त 2017 के नियम 2(1) के तहत पुलिस आयुक्तालय के समस्त थाना क्षेत्रो में पुलिस आयुक्तालय जयपुर के समस्त थाना क्षेत्रो में सेवाएं– 2 G/3G/4G DATA (MOBILE INTERNET(INTERNET SERVIECE- BULK SMS/MMS, WHATSAPP, FACEBOOK, TWITTER AND OTHER MEDIA SERVICEs THROUGH INTERNET SERIVCE PROVIDERS {EXCEPT VOICE CALLS } पर दिनांक 09.04.2018 के रात्रि 10.00 पीएम से दिनांक 10.04.2018 के रात्रि 10.00 तक प्रतिबंध कराने हेतु अनुरोध है।

भवदीय

(संजय अग्रवाल)
पुलिस आयुक्त
जयपुर।

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत

राजस्थान सरकार

कार्यालय संभागीय आयुक्त, जयपुर संभाग, जयपुर

89

क्रमांक : प. 3 (92) का.व्य./संआज./2017/ दिनांक : 12.5.2018

आदेश

जिला कलेक्टर, दौसा ने अपने पत्रांक : न्याय /कानून–व्यवस्था /2018 /3255 दिनांक 11.5.18 द्वारा अवगत कराया है कि भरतपुर में दिनांक 15.5.2018 को गुर्जर आरक्षण आन्दोलन हेतु महापंचायत प्रस्तावित है, जिसके कारण दौसा जिले के समीपवर्ती क्षेत्र की संवेदनशीलता को दृष्टिगत रखते हुए कानून–व्यवस्था एवं सुरक्षा व्यवस्था बनाये रखने हेतु तहसील महवा का पुलिस थाना सलेमपुर के सम्पूर्ण क्षेत्र में टेलीकॉम कम्पनियों द्वारा इन्टरनेट सेवा बन्द किया जाना आवश्यक है ।

गुर्जर आरक्षण आन्दोलन को लेकर कई तरह के विडियो भी वायरल हो रहे हैं, इससे अफवाहें फैलने से शान्ति भंग होने की आशंका है, इसलिये उक्त क्षेत्र में कानून–व्यवस्था बनाये रखने की दृष्टि से हम टेलीकॉम कम्पनियों से इन्टरनेट सेवा स्थगित करवाया जाना आवश्यक समझते हैं ।

अतः दौसा जिले के तहसील महवा का पुलिस थाना सलेमपुर के संपूर्ण क्षेत्र में कानून–व्यवस्था, साम्प्रदायिक सौहार्द एवं लोक सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए भारत सरकार के संचार मंत्रालय की अधिसूचना Temporary Suspension of Telecom Services (Public Emergency or Public Safety) Rules-2017, दिनांक 7.8.2017 के नियम 2(1) के तहत गृह (ग्रुप–9) विभाग, राजस्थान सरकार के पत्रांक : एफ 35(1) होम–9 /2006 पार्ट दिनांक 2.9.2017 के अंतर्गत दी गई शक्तियों के अनुसरण में, मैं टी.रविकान्त, संभागीय आयुक्त, जयपुर दौसा जिले के तहसील महवा का पुलिस थाना सलेमपुर के संपूर्ण क्षेत्र में सेवाऐं 2G / 3G /4G DATA (Mobile Internet), Internet Services, Bulk SMS/ MMS, Whatsapp, Facebook, Twitter & Other Social Media Services through Internet Service providers (Except Voice Calls & Broadband Internet) पर दिनांक 12.05.2018 को सायं 08.00 बजे से दिनांक 15.05.2018 को मध्यरात्रि 11.59 बजे तक अस्थाई प्रतिबन्ध लागू करता हूँ ।

मैं, सभी नागरिकों को इस आदेश की पालना करने एवम् अवहेलना नहीं करने के निर्देश देता हूँ । यदि कोई व्यक्ति, उपर्युक्त प्रतिबंधात्मक आदेशों का उल्लंघन करेगा तो वह सक्षम विधिक प्रावधानों के अन्तर्गत अभियोजित किया जा सकेगा ।

यह आदेश आज दिनांक 12.05.2018 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय की मुद्रा से जारी किया गया है ।

COMMISSIONER JAIPUR DIVISION

(टी. रविकान्त)
संभागीय आयुक्त
DIVISIONAL COMMISSIONER
JAIPUR

दिनांक : 12.5.2018

कमांक : प. 3 (92) का.व्य./संआज./2017/ 219-34

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर ।
2. अति. मुख्य सचिव, गृह विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर ।
3. शासन सचिव, गृह विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर ।
4. संभागीय आयुक्त, भरतपुर ।
5. जिला मजिस्ट्रेट, भरतपुर /करौली ।
6. जिला मजिस्ट्रेट, दौसा ।
7. पुलिस अधीक्षक, दौसा को भेजकर लेख है कि इस संबंध में क्षेत्र में संचालित सभी टेलीकॉम कम्पनियों /ऑपरेटर्स से समन्वय स्थापित कर उक्त आदेश की पालना सुनिश्चित की जावें ।
8. नोडल अधिकारी, टेलीकॉम भारत संचार निगम लिमिटेड, एयरटेल, वोडाफोन, आईडिया, एयरसेल, एम.टी.एस., टाटा, रिलायन्स, जियो आदि को पालनार्थ (द्वारा पुलिस अधीक्षक दौसा) ।
9. सहायक निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क कार्यालय, दौसा को व्यापक प्रचार–प्रसार हेतु ।
8. रक्षित पत्रावली ।

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत
अधिप्रमाणित

संभागीय आयुक्त

राजस्थान सरकार

कार्यालय संभागीय आयुक्त, जयपुर संभाग, जयपुर

क्रमांक: प.3/92) का.व्य./संआज./2017/ दिनांक: 13.7.2018

आदेश

अति0पुलिस आयुक्त–प्रथम, जयपुर ने अपने पत्रांक : 17761 दिनांक 13.7.2018 द्वारा अवगत कराया है कि राजस्थान पुलिस कानिस्टेबल भर्ती 2018 की लिखित परीक्षा दिनांक 14 व 15 जुलाई, 2018 को आयोजित की जा रही है । लिखित परीक्षा के दौरान नकल एवं अनुचित साधनों की रोकथाम के लिये पुलिस आयुक्तालय के समस्त थाना क्षेत्रों में दिनांक 14 व 15.7.21018 को प्रातः 8.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक इन्टरनेट सेवाऐं बन्द कराने का अनुरोध किया है ।

राज्य में उक्त पुलिस कानिस्टेबल लिखित परीक्षा–2018 दिनांक 14.7.18 एवं 15.7.18 को प्रतिदिन दो पारियों में प्रातः 10 ए.एम. से 12 पी.एम. व 3 पी.एम. से 5 पी.एम. के मध्य आयोजित की जा रही है, जिसमें करीबन 14–15 लाख अभ्यर्थियों के भाग लेने की संभावना है । पूर्व में दिनांक 7.3.18 को पुलिस विभाग द्वारा पुलिस कानिस्टेबल लिखित ऑनलाईन परीक्षा–2018 आयोजित करवाई गई थी । लेकिन उक्त परीक्षा में इन्टरनेट संबंधी अनुचित साधनों का प्रयोग किया गया, जिसमें एस.ओ.जी द्वारा कई प्रकरण दर्ज कर गिरफ्तारियों की गई थी तथा सोशल मीडिया पर उक्त परीक्षा में गड़बड़ी होने की खबरें प्रचारित की गई, जिसके कारण उक्त परीक्षा को निरस्त करना पड़ा ।

वर्तमान में सोशल मीडिया पर उक्त परीक्षा में गड़बडी करने की काफी अफवाहें प्रसारित की जा रही हैं । साथ ही विगत दिनों में जिला जोधपुर, सीकर व भरतपुर में कई सक्रिय नकल गिरोह पकड़ में आए हैं, जिनके खिलाफ प्रकरण पंजीबद्ध हुए हैं एवं गिरफ्तारियां भी हुई हैं । यदि उक्त परीक्षा में इन्टरनेट संबंधी अनुचित साधनों का प्रयोग होता है तो इससे परीक्षा में लाखों की संख्या में भाग ले रहे अभ्यर्थियों में काफी असंतोष उत्पन्न हो सकता है, साथ ही इससे संबंधित सूचनाऐं एवं अफवाहें भी सोशल मीडिया पर तेजी से फैलने की संभावना से कानून–व्यवस्था को प्रभावित करने वाली घटनाऐं कारित हो सकती है ।

अतः राजस्थान पुलिस कानिस्टेबल भर्ती–2018 की लिखित परीक्षा दिनांक 14 व 15 जुलाई, 2018 के दौरान सोशल मीडिया पर अनेक प्रकार की अफवाहें फैलाई जाकर कानून–व्यवस्था की स्थिति को प्रभावित करने की प्रबल संभावना है, जिससे लोक शांति भंग होने और कानून–व्यवस्था, प्रतिकूल रूप से बाधित होने की आशंका को दृष्टिगत रखते हुए हम टेलीकॉम कम्पनियों से इन्टरनेट सेवा स्थगित करवाया जाना आवश्यक समझते हैं ।

अतः पुलिस आयुक्तालय, जयपुर के निम्न परीक्षा केन्द्रों पर कानून व्यवस्था एवं लोक सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए राजस्थान पुलिस कानिस्टेबल भर्ती–2018 की लिखित परीक्षा के दौरान भारत सरकार के संचार मंत्रालय की अधिसूचना (Temporary Suspension of Telecom Services (Public Emergency or Public Safety) Rules- 2017, दिनांक 7.8.2017 के नियम 2(1) के तहत गृह (ग्रुप–9) विभाग, राजस्थान सरकार के पत्रांक : एफ 35(1) होम–9 /2006 पार्ट दिनांक 2.9.2017 के अंतर्गत दी गई शक्तियों के अनुसरण में, मैं टी.रविकान्त, संभागीय आयुक्त, जयपुर, पुलिस आयुक्तालय, जयपुर के क्षेत्राधिकार में निम्न परीक्षा केन्द्रों पर सेवाऐं 2G / 3G /4G DATA (Mobile Internet), Internet Services, Bulk SMS/ MMS, Whatsapp, Facebook, Twitter & Other Social Media Services through Internet Service providers (Except Voice Calls & Broadband Internet) पर 14.7.18 व 15.7.21018 को प्रातः 8.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक अस्थाई प्रतिबन्ध लागू करता हूँ :–

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत
अधिप्रमाणित

सहायक लोक सूचना अधिकारी
संभागीय आयुक्त कार्यालय, जयपुर

संभागीय आयुक्त
जयपुर

Tel: 0141-2201096 Fax : 2206400 email: divcom.jaipur@rajasthan.gov.in Room No. 101, Ground Floor, Mini Secretariat, Jaipur-16

राजस्थान सरकार

कार्यालय संभागीय आयुक्त, जयपुर संभाग, जयपुर

S.No.	Name of Center	Address of Center
1.	ANAND INTERNATIONAL COLLEGE OF ENGINEERING, Gate No-2	NEAR KANOTA, AGRA ROAD, JAIPUR
2.	SHRI MAHARAJA VINAYAK P.G. COLLEGE	Dhyawana Nagar, Paldi Meena, Agra Road, JAIPUR
3.	Maheshwari Public School	SECTOR - 4, JAWAHAR NAGAR, JAIPUR
4.	UNIVERSITY RAJASTHAN COLLEGE	J.L.N. MARG, NEAR GANDHI CIRCLE, JAIPUR
5.	VEDIK KANYA P.G. COLLEGE	LANE 1, RAJA PARK, JAIPUR
6.	SENIOR SECONDARY ADARSH VIDYA MAND R	BEHIND PINK SQUARE MALL, JANTA COLONY, JAIPUR
7.	ADARSH VIDHYA MANDIR SR. SEC. SCHOOL	NEAR GOVIND MARG , NEAR DASHAHRA MAIDHAN , ADARSH NAGAR JAIPUR
8.	SADHU VASWANI SR. SEC. SCHOOL	MIRA BHAWAN, GEETA BHAWAN ROAD, RAJA PARK,BEES DUKAN,ADARSH NAGAR, JAIPUR
9.	LAL BHADUR SHASTRI P.G. COLLEGE	PANDIT DEVI SHANKAR TIWARI MARG, TILAK NAGAR, JAIPUR
10.	SHAHID Lt. ABHAYA PAREEK GOVT. GIRLS SR. SEC. SCHOOL	SANDHI NAGAR, JAIPUR
11.	NITIN SENIOR SECONDARY SCHOOL	KISAN MARG, BARKAT NAGAR, TONK PHATAK, JAIPUR
12.	St. Joseph Academy	PLOT NO- 60C, BARKAT NAGAR ROAD, MAHESH NAGAR RAILWAY PHATAK, TONK PHATAK, JAIPUR
13.	THE MODERN HAPPY SR. SEC. SCHOOL	SIDDHARTH NAGAR,MALVIYA NAGAR,SECTOR -10, JAIPUR
14.	NITIN GIRLS SR. SEC. SCHOOL	KISHAN MARG, BARKAT NAGAR, TONK PHATAK, JAIPUR
15.	S.V. PUBLIC SCHOOL	MIRA BHAWAN, OPP. GEETA BHAWAN, ADARSH NAGAR, JAIPUR
16.	GOVT. GIRLS SR. SEC. SCHOOL - MALVIYA NAGAR	SECTOR-2, NEAR SATKAR SHOPPING CENTER, MALVIYA NAGAR, JAIPUR
17.	GOVT. GIRLS SR. SEC. SCHOOL - ADARSH NAGAR	NEAR 20 DUKAN, GOALCHAKKER, ADARSH NAGAR, JAIPUR
18.	AGRAWAL SENIOR SECONDARY SCHOOL	MHARAJA AGRASEN MARG, AGRASEN KATLA, NEAR SANGANERI GATE, AGRA ROAD, JAIPUR
19.	AGRAWAL PG COLLEGE	MHARAJA AGRASEN MARG, AGRASEN KATLA, NEAR SANGANERI GATE, AGRA ROAD, JAIPUR
20.	SHIVALIK PUBLIC SR. SEC. SCHOOL	59-60, JAGDISH VIHAR, JAGATPURA, JAIPUR
21.	GOVT. GIRLS SENIOR SECENDARY SCHOOL	NAGAR NIGAM ROAD, SANGANER, JAIPUR
22.	N.K. PUBLIC SCHOOL	GEM PALACE,BEHIND SANGANER STADIUM, SANGANER,JAIPUR
23.	R.C. DUKYA INTERNATIONAL SCHOOL	34 B,Suraj Nagar I , Near Malpura Gate, Sanganer Jaipur
24.	RAHUL SHIKSHAN SANSTHAN SR. SEC. SCHOOL	GAYTRI NAGAR-II, NEAR PINJRAPOL GAUSHALA, SANGANER, JAIPUR
25.	ST. SHEETAL ROYAL ACADEMY SR. SEC. SCHOOL	31/212,PRATAP NAGAR, SEC-3 ,SANGANER,JAIPUR
26.	SURESH GYAN VIHAR UNIVERSITY	MAHAL, JAGATPURA, JAIPUR
27.	SWAMI KESHVANAND INSTITUTE OF TECHNOLOGY MANAGEMENT AND GRAMOTHAN	SKIT, RAM NAGARIA, JAGATPURA, JAIPUR
28.	VIVEKANAND INSTITUTE OF TECHNOLOGY	SECTOR - 36, NRI ROAD, JAGATPURA, JAIPUR
29.	VIVEKANAND INSTITUTE OF TECHNOLOGY EAST	SECTOR - 36, NRI ROAD, JAGATPURA, JAIPUR
30.	JAIPUR NATIONAL UNIVERSITY OLD CAMPUS	JAIPUR- AGRA BYPASS, NEAR NEW RTO OFFICE, JAGATPURA , JAIPUR
31.	JVP INTERNATIONAL SCHOOL	SECTOR-17,NEAR PHED WATER TANK, PRATAP NAGAR, SANGANER, JAIPUR
32.	VIVEKANAND GLOBAL UNIVERSITY	SECTOR - 36, NRI ROAD, SISYAWAS, JAGATPURA, JAIPUR

संभागीय आयुक्त
संभागीय आयुक्त
जयपुर

Fax : 2206400 email: divcom.jaipur@rajasthan.gov.in Room No. 101, Ground Floor, Mini Secretariat, Jaipur-16

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत
अधिप्रमाणित

33.	ST. JOSEPH CONVENT SCHOOL WING - 2	VIDHYA SAGAR ROAD ,SECTOR 7, PRATAP NAGAR, SHEOPUR ROAD, JAIPUR
34.	ST. JOSEPH CONVENT SCHOOL WING - 1	VIDHYA SAGAR ROAD ,SECTOR 7, PRATAP NAGAR, SHEOPUR ROAD, JAIPUR
35.	R.K. PUBLIC SCHOOL	SURAJ NAGAR,DIGGI ROAD, NEAR MALPURA GATE, OPPSITE AMRIT HOSPITAL, SANGANER, JAIPUR
36.	KENDRIYA VIDYALAYA NO. 1, JAIPUR	KV NO.1 ,Bajaj Nagar, JAIPUR
37.	KENDRIYA VIDYALAYA NO. 3, JAIPUR	JHALANA DOONGARI, OPPOSITE R.V.T.I., JAIPUR
38.	P.G. SCHOOL OF HUMANITIES	UNIVERSITY OF RAJASTHAN CAMPUS, JAIPUR
39.	LATE KU. LAXMI BADHALA GIRLS P.G. COLLEGE	N.H.-52, GOVINDGARH, JAIPUR
40.	SHRI GANGA SINGH COLLEGE	N.H. 52, GOVINDGARH, CHOMU, JAIPUR
41.	SHRI KRISHNA MAHAVIDHALYA	ANANTPURA ROAD, GOVINDGARH, TEH. CHOMU, DIST. JAIPUR
42.	BRIGHT MOON GIRLS P.G. COLLEGE	BUS STAND GOVINDGARH, TEH. CHOMU, DIST. JAIPUR
43.	SHRI MAHAVEER INTERNATIONAL SCHOOL	NEAR RAILWAY STATION, SHYAM VIHAR, KISHANGARH RENWAL, JAIPUR
44.	NIMS UNIVERSITY	Jaipur-Delhi Highway, Shobha Nagar, National Highway 11C, Jaipur
45.	SHRI MINESH PG COLLEGE	NEAR BUS STAND JAMWARAMGARH JAIPUR
46.	RAHUL CHANDIJA MEMORIAL COLLEGE	VILLAGE POST- BHANPUR KALA, VIA AMER, TEHSIL JAMWARAMGRAH, JAIPUR
47.	Pankaj Sr. Sec. School	NEEMADIYA,Heerawala, Jamwaramgarh, JAIPUR
48.	MAHATMA JYOTI RAO PHOOLE UNIVERSITY	S P 2 ,3 KANT, KALWAR, RIICO INDUSTRIAL AREA, N.H.-8, ACHROL, JA PUR
49.	GYAN JYOTI SENIOR SECONDARY SCHOOL	8/85, VIDHYADHAR NAGAR, JAIPUR
50.	SHRI KHANDELWAL VAISH P.G. MAHAVIDHYALAYA	HOUSING BOARD, SHASTRI NAGAR, JAIPUR
51.	TAGORE PUBLIC SCHOOL WING - 1	NEAR PITAL FACTORY, SHASTRI NAGAR ROAD, SHASTRI NAGAR, JAIPUR
52.	TAGORE PUBLIC SCHOOL WING - 2	NEAR PITAL FACTORY, SHASTRI NAGAR ROAD, SHASTRI NAGAR, JAIPUR
53.	TAGORE PUBLIC SCHOOL WING - 3	NEAR PITAL FACTROY,SHASTRI NAGAR ROAD, SHASTRI NAGAR, JAIPUR
54.	TAGORE PUBLIC SCHOOL WING - 4	NEAR PITAL FACTORY , SHASTRI NAGAR ROAD , SHASTRI NAGAR , ,JAIPUR
55.	TAGORE PUBLIC SCHOOL WING - 5	NEAR PITAL FACTORY , SHASTRI NAGAR ROAD , SHASTRI NAGAR , JAIPUR
56.	TAGORE VIDHYA BHAWAN SENIOR SECONDARY SCHOOL	NEAR PITAL FACTORY, SHASTRI NAGAR ROAD , SHASTRI NAGAR , JAIPUR
57.	M.K.B. GIRLS SENIOR SECONDARY SCHOOL WING - 1	NEAR PANIPETCH, SHIVAJI MARG, NEHRU NAGAR, JAIPUR
58.	M.K.B GIRLS SENIOR SECONDARY SCHOOL WING - 2	NEAR PANIPETCH , SHIVAJI MARG, NEHRU NAGAR, JAIPUR
59.	BRIGHTMOON PUBLIC SENIOR SECONDARY SCHOOL WING - 1	P.NO.-01, MADAN BADI, NAYA KHEDA, AMBABADI, JAIPUR
60.	BRIGHTMOON PUBLIC SENIOR SECONDARY SCHOOL WING -2	18 , PRITHIVI NAGAR, NAYA KHEDA , AMBABADI , JAIPUR
61.	SHRI JAIN SWETAMBER TERAPANTHI SR. SEC. SCHOOL	RAM NAGAR , SHASTRI NAGAR , JAIPUR
62.	R D PUBLIC SECONDARY SCHOOL	20-21, RATHORE MARG,VIVEKANAND COLONY, NAYA KHERA, AMBABARI, JAIPUR
63.	TAGORE PUBLIC SCHOOL, AMBABARI	TAGORE MARG, NEAR AWHO COLONY, AMBABARI, JAIPUR

Tel: 01[illegible]201096 Fax : 2206400 email: divcom.jaipur@rajasthan.gov.in Room No. 101, Ground Floor, Mini Secretariat, Jaipur-16

संभागीय आयुक्त
जयपुर

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत
अधिप्रमाणित

सहायक लोक सूचना अधिकारी

राजस्थान सरकार
कार्यालय संभागीय आयुक्त, जयपुर संभाग, जयपुर

64.	SR.SEC. GIRLS ADARSH VIDHYA MANDIR AMBABARI	AMBABARI CIRCLE, AMBABARI, JAIPUR
65.	SHRI KRISHNA PUBLIC SENIOR SECONDARY SCHOOL, NAYA KHEDA	89,Rajiv Nagar, Sector 3, Naya Kheda, Near Mandir Mod, Vidhyadhar Nagar, JAIPUR
66.	MAYUR PUBLIC SENIOR SECONDARY SCHOOL	A 44-46, L S Nagar, Naya Kheda, Vidhyadhar Nagar, JAIPUR
67.	SHRI HARIRAM SABOO PUBLIC SCHOOL	SUBHASH NAGAR, SHOPPING CENTRE, SUBHASH NAGAR, JAIPUR
68.	RAJASTHAN POLICE ACADEMY	NEHRU NAGAR,SHASTRI NAGAR,JAIPUR
69.	DHRUV BAL NIKETAN SR. SEC. SCHOOL	PLOT-10, SEETARAMPURI, PURANA RAMGARH MOD, AMER ROAD, JAIPUR
70.	BRIGHT SCHOLAR'S SCHOOL,	SHIKSHAK COLONY, SIYARAM DUNGRI, AMER, JAIPUR
71.	Sanctum Academy Senior Secondary School	MEHANDI KA BASH, SHYAM RAM BABA KI DUNGARI,AMER, JAIPUR
72.	SRI GANGA SHIKSHA MANDIR SECONDARY SCHOOL	MEHNDI KA BANS,AMER, JAIPUR
73.	JAI DURGA SR. SEC. SCHOOL	PLOT NO. 3, SHANKAR NAGAR, MOUNT ROAD, AMER ROAD, JAIPUR
74.	SAINT LAWRENCE PUBLIC SR. SEC. SCHOOL	LALPURA HOUSE, BEHIND HOTAL MAN SINGH, NEAR ANAND BHAWAN, SANSAR CHANDRA ROAD,NEAR SINDHI CAMP, JAIPUR
75.	Small Wonders Academy	134, SHANKAR NAGAR, BRAHMPURI, JAIPUR
76.	GOVT MAHARAJA GIRLS SR. SEC. SCHOOL	KISHANPOLE BAZAR,CHOTI CHOPAR, JAIPUR
77.	M.C. SINDHI PANCHYAT SR: SEC. SCHOOL	NEW COLONY, NEAR SINGH DWAR, M.I. ROAD, JAIPUR
78.	MODAL SCHOLAR SR.SEC. SCHOOL	12 ANAND COLONY 3, PURANA RAMGARH MOAD,NEAR BRAHMPURI POLICE THANA, AMER ROAD, JAIPUR
79.	ARYA INSTITUTE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY	Arya 1st Main campus,SP-40 RIICO Industrial Area, Kukas, Delhi Road, Jaipur
80.	RAJASTHAN SANSKRIT COLLEGE	PANDIT RAMJI LAL SHASTRI MARG,SAMRAT JI KA BAGH, SITARAM BAZAR, BRAHMPURI, JAIPUR
81.	SURENDRA PUBLIC SCHOOL WING 1	GAJSINGHPURA, OPPOSITE HIRAPURA POWER HOUSE, AJMER ROAD, JAIPUR
82.	SURENDRA PUBLIC SCHOOL WING 2	GAJSINGHPURA, OPPOSITE HIRAPURA POWER HOUSE, AJMER ROAD, JAIPUR
83.	RAWAT P.G. GIRLS COLLEGE WING 1	KARNI VIHAR, HEERAPURA, AJMER ROAD, JAIPUR
84.	RAWAT P.G. GIRLS COLLEGE WING 2	KARNI VIHAR, HEERAPURA, AJMER ROAD, JAIPUR
85.	SHAKTI SHIKSHA ACADEMY SENIOR SECONDARY SCHOOL	Shakti Nagar , Gajsighpura, Opp Hirapura Power House, Jaipur
86.	MAHATMA JYOTI RAO PHOOLE MAHAVIDHYALAYA	RAM NAGAR EXTENSION, NEW SANGANER ROAD, SODALA, JAIPUR
87.	JAGANNATH GUPTA INSTITUTE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY (JNIT)	IP-2, 3 PHASE-IV, OPP. - CHOKHI DHANI, SITAPURA INDUSTRIAL AREA, JAIPUR
88.	MODERN EDUCATION SOCIETY WOMEN TEACHER TRAINING COLLEGE	Padmavati Colony-B,Nirman Nagar,Gopalpura By Pass, JAIPUR
89.	MAHATMA GANDHI COLLEGE OF EDUCATION	ISI-15 A, RIICO INDUSTRIAL AREA, SITAPURA, JAIPUR
90.	YASH VIDHYA MANDIR SR. SEC. SCHOOL	HAWA SADAK, CIVIL LINES, OPP RAM MANDIR, 22 GODAM, JAIPUR
91.	BSN COLLEGE	BHAWANI SHIKHA NIKETAN,VATIKA ROAD, BAXAWALA,OPP. JDA SCHEME,SANGANER, JAIPUR
92.	CHITRANSH PUBLIC SR. SEC. SCHOOL	PLOT NO 16-17-18,CHITRANSH PATH,MOHAN COLONY,SWEJ FARM,RAM NAGAR EXTENSION, BEHIND MJRP COLLEGE, SODALA, JAIPUR
93.	CHOUDHARY PUBLIC SR. SEC. SCHOOL (ENGLISH MEDIUM)	32-33 JANTA NAGAR, RANKRI, NEAR 4 No. Dispensari, Hatwada road Sodala , JAIPUR

Tel: 0141-220[illegible] Fax : 2206400 email: divcom.jaipur@rajasthan.gov.in Room No. 101, Ground Floor, Mini Secretariat, Jaipur-16

संभागीय आयुक्त
जयपुर

अधिप्रमाणित

4

94.	CHOUDHARY PUBLIC SR SEC SCHOOL (HINDI MEDIUM)	62-64, JANTA NAGAR, RANKRI, NEAR 4 No. Dispensari, Hatwada road Sodala , JAIPUR
95.	DAYANAND PUBLIC SR. SEC.SCHOOL	VARUN PATH, MANSAROVAR, JAIPUR
96.	DEEPSHIKHA COLLEGE OF TECHNICAL EDUCATION	SECTOR-4, VARUN PATH, MANSAROVAR, JAIPUR
97.	GAGAN BHARTI PUBLIC SR. SEC .SCHOOL	690,SUMER NAGAR,RAJAWAT FARM,OPPOSITE AGARWAL FARM,NEW SANGANER ROAD,MANSAROVER, JAIPUR
98.	GAYATRI PUBLIC SR. SEC. SCHOOL	SWEJ FARM, NANDPURI G ,SODALA, JAIPUR
99.	GLOBAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY	ITS- 1, IT Park, EPIP, Sitapura, Jaipur
100.	IGM SENIOR SECONDARY PUBLIC SCHOOL	3-AGRAWAL FARM, VIJAY PATH, SECTOR 9, TULSI MARG, MANSAROVER, JAIPUR
101.	ST. J.K.L. COLLEGE	OPPOSITE BALAJI MANDIR , NEAR MORARKA FOUNDATION , VATIKA MODE , 12 MEEL , JAIPUR
102.	KAUTILYA INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND ENGINEERING	ISI 16 ,RIICO INSTITUTIONAL AREA , KAUTILYA CIRCLE , SITAPURA , JAIPUR
103.	KENDRIYA VIDHYA MANDIR SR. SEC. SCHOOL	3/3A , KATEWA NAGAR EXT., OPPOSIT METRO PILLER NO. 69, GURJAR KI THADI,NEW SANGANER ROAD , JAIPUR
104.	KESAR INTERNATIONAL ACADEMY SR. SEC. SCHOOL	KESAR NAGAR, MUHANA MANDI ROAD, VIJAY PATH, MANSAROVAR, JAIPUR
105.	MAHARISHI ARVIND INSTITUTE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY	SECTOR 7, MADHYAM MARG, MANSROVER, JAIPUR
106.	MAHAVIR LAW COLLEGE	SECTOR-4 KIRAN PATH, MANSAROVER, JAIPUR
107.	MOUNT MARY SR. SEC. SCHOOL	A-1, MONIKA VIHAR-2, OPP. RAJAT PATH, NEW SANGANER ROAD, MANGYAWAS ROAD, MANSAROVAR, JAIPUR
108.	MY OWN SCHOOL	SHRI RAM MARG,SHYAM NAGAR,SODALA,AJMER ROAD,JAIPUR
109.	NAVJEEVAN SR. SEC. SCHOOL	8, KRISHNAPURI,RAKADI,SODALA,JAIPUR
110.	S.S.PUBLIC SENIOR SECONDARY SCHOOL	80-85,JAGANATHPURI-I,TRIVENI NAGAR,GOPALPURA BYPASS, JAIPUR
111.	SHRI RAM SENIOR SECONDARY SCHOOL	GOLYAWAS NEW SANGANER ROAD,OPP HEERA PATH,MANSAROVAR, JAIPUR
112.	SINE INTERNATIONAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY	LAKHNA ROAD, VIA- SANGANER BAZOL, JAIPUR
113.	ST. WILFRED'S P.G. COLLEGE	Sector-10, Meera Marg, Madhyam Marg, Ward Number 43, Mansarovar, Jaipur
114.	TAGORE ADARSH PG COLLEGE	SECTOR-7, ZONE 70 SHIPRA PATH, MANSAROVER, JAIPUR
115.	TAGORE VIDYA BHAWAN SEN. SEC. SCHOOL	SWARAN PATH, MANSAROVAR, JAIPUR
116.	THE LAWRENCE PUBLIC SCHOOL	V.T. ROAD, CROSSING PATRAKAR COLONY ROAD, NEW SANGANER ROAD, OPP. VEER TEJAJI TEMPLE, MANSAROVER, JAIPUR
117.	Vikas Vidhya Mandir Sr. Sec. school	Opp 116/46,shipra path, Thadi market, mansarover, Jaipur
118.	WELFARE ACADEMY SR. SEC. SCHOOL	BAD MOHAN PURA,ISKON ROAD,VIJAY PATH,MANSAROVER, JAIPUR
119.	R.P. SECONDARY SCHOOL	18,19 DEV NAGAR-C, RAMPURA ROAD, NEAR PANI KI TANKI, SANGANER, JAIPUR
120.	YAGYAVALKYA INSTITUTE OF TECHNOLOGY WING - 1	YIT Lane, RIICO Industrial Area, Opp. Chokhi Dhani, Tonk Road, Sitapura, Jaipur
121.	YAGYAVALKYA INSTITUTE OF TECHNOLOGY WING - 2	YIT Lane, RIICO Industrial Area, Opp. Chokhi Dhani, Tonk Road, Sitapura, Jaipur
122.	DHANWANTRI INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCE	SECTOR- 2, KAVERI PATH, MANSAROVER, JAIPUR
123.	D.C.S PG COLLEGE	RAGUNATH PURA, NEAR RATLYA STAND, DIGGY ROAD, SANGANER, JAIPUR

संभागीय आयुक्त
जयपुर

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत
अधिप्रमाणित

124.	RAMA KRISHNA TEACHER TRAINING COLLEGE	BEFORE RING ROAD, RAGUNATHPURA (RATLYA), DIGGI ROAD,SANGANER, JAIPUR
125.	KENDRIYA VIDYALAYA NO. 5, JAIPUR	KV NO.5 ,MANSAROVAR,JAIPUR
126.	PRINCE INTERNATIONAL SCHOOL	OPP. RADHASWAMI BAGH, JAITPURA, CHOMU, JAIPUR
127.	SENIOR SECONDARY ADARSH VIDYA MANDIR	THANA MODE, CHOMU, JAIPUR
128.	VINAYAK P.G. COLLEGE	KACHOLIYA ROAD, BODH VIHAR ,CHOMU ,JAIPUR
129.	BANSAL INSTITUTE OF EDUCATION SENIOR SECONDARY SCHOOL	OPP. BSNL OFFICE, RENWAL ROAD, CHOMU , DIST. JAIPUR
130.	TARGET COLLEGE	KACHOLIYA ROAD,TARGET COLONY, CHOMU, JAIPUR
131.	PIYUSH COLLEGE	NEW BYPASS ROAD, RADHASWAMI BAGH, NEAR BHOJAWALA CUT, CHOMU, JAIPUR
132.	ASIAN CHILDREN SENIOR SECONDARY SCHOOL	RADHASWAMI BAGH, CHOMU, JAIPUR
133.	RAJANI PUBLIC SR.SEC.SCHOOL	KACHE BHANDE KE SAMNE, BHOJAWALA ROAD, CHOMU, JAIPUR
134.	SHIV SHAKTI PUBLIC SENIOR SECONDARY SCHOOL	A-52/53, DADHICHI NAGAR, OPP. ROAD NO 6, NEAR KHATU SHYAM MANDIR, VKI AREA, SIKAR ROAD, JAIPUR
135.	SHRI GYAN JYOTI PUBLIC SENIOR SECONDARY SCHOOL	30-GANESH NAGAR-3, MURLIPURA, JAIPUR
136.	MANISH SENIOR SECONDARY SCHOOL	28, GAYATRI NAGAR, JODLA, BALAJI KANTA, SIKAR ROAD, HARMARA, JAIPUR
137.	SAINT BRIGHT MOON PUBLIC SENIOR SECONDARY SCHOOL	P. NO. 41-A, 41-B, ARYA NAGAR, MURLIPURA, JAIPUR
138.	GOVERNMENT GIRLS SENIOR SECONDARY SCHOOL	VEERA MARG, BANIPARK, JAIPUR
139.	SHAHEED HIMMAT SINGH SHEKHAWAT GOVERNMENT SECONDARY SCHOOL	MURLIPURA SCHEME, SIKAR ROAD, JAIPUR
140.	SHASHI KISHAN PUBLIC SENIOR SECONDARY SCHOOL	27, SHINDHU NAGAR,VIJAY BARI, MURLIPURA, JAIPUR
141.	ADARSH VIDHYA MANDIR SENIOR SECONDARY SCHOOL	SINDHI COLONY, BANIPARK, JAIPUR
142.	BRIGHTMOON PUBLIC SCHOOL	KHORASHYAMDAS,RAJAWAS MODE,SIKAR ROAD,HARMADA,JAIPUR
143.	SRI BALAJI COLLEGE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY	BENAD ROAD, NEAR DADI KA PHATAK, MACHEDA, JAIPUR
144.	G R GLOBAL ACADEMY	BENAD ROAD, NEAR DADI KA PHATAK, MACHEDA, JAIPUR
145.	MEHTA PUBLIC SENIOR SECONDARY SCHOOL	VILLAGE-UAIPURIYA, POST- HARMARA, SIKAR ROAD, JAIPUR
146.	CHAND DEVI VIDHYA MANDIR SENIOR SECONDARY SCHOOL	VILLAGE- KHORA SHYAMDAS, RAJAWAS MOD, HARMADA, SIKAR ROAD, JAIPUR
147.	EKLAVYA INTERNATIONAL ACADEMY	VILLAGE-UAIPURIYA, POST- HARMARA, SIKAR ROAD, JAIPUR
148.	MEHTA COLLEGE AND INSTITIUTE OF TECHNOLOGY	VILLAGE-UAIPURIYA, POST- HARMARA, SIKAR ROAD, JAIPUR
149.	AKSHARDHAM ACADEMY	Plot No. 11-12, Ganga Vihar Vistar Colony, Behind Jodala Power House,HARMADA, JAIPUR
150.	MAHARANI GIRLS ENGINEERING COLLEGE	N.H.8, KALAWARA, SURATPURA ROAD, NEAR MAHINDRA WORLD CITY(SEZ) , AJMER ROAD, JAIPUR
151.	GANDHI BAL NIKETAN SENIOR SECONDARY SCHOOL	340-341, VIJAY BARI, PATH NO. 6, DHER KE BALAJI, JAIPUR
152.	SHINE STAR CHILDRENS ACADEMY SCHOOL	C-36, BALAJI VIHAR-6, NEAR JAHNAVI ITI, BENAD ROAD, JHOTWARA, JAIPUR
153.	MARIGOLD PUBLIC SCHOOL	NIDAR LAND,BAD PIPALI, SIKAR ROAD, JAIPUR

संभागीय आयुक्त
जयपुर

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत
अधिप्रमाणित

राजस्थान सरकार

कार्यालय संभागीय आयुक्त, जयपुर संभाग, जयपुर

संभागीय आयुक्त जयपुर

154.	SHRI BHAWANI NIKETAN MAHILA MAHAVIDHYALAY	MAHARAO SHEKHA CIRCLE, SIKAR ROAD, JAIPUR
155.	SHRI BHAWANI NIKETAN PUBLIC SCHOOL	MAHARAO SHEKHA CIRCLE, SIKAR ROAD, JAIPUR
156.	SHRI BHAWANI NIKETAN GIRLS SENIOR SECONDARY SCHOOL	MAHARAO SHEKHA CIRCLE, SIKAR ROAD, JAIPUR
157.	SHRI BHAWANI NIKETAN POLYTECHNIC	MAHARAO SHEKHA CIRCLE, SIKAR ROAD, JAIPUR
158.	RAJASTHAN COLLEGE FOR ENGINEERING FOR WOMEN	AJMER ROAD, BHANKROTA, JAIPUR
159.	DR. RADHAKRISHAN INSTITUTE OF ENGINEERING	KALWARA, NEAR MAHINDRA SEZ, AJMER ROAD, JAIPUR
160.	TILAK PUBLIC SENIOR SECONDARY SCHOOL	SHIVNATH VIHAR, BHAKROTA, AJMER ROAD, JAIPUR
161.	SMT. KAMLA DEVI BUDHIYA GOVT. SR. SEC. SCHOOL	200 FEET BY PASS CHORAHA , AJMER ROAD, JAIPUR
162.	MOTHERLAND PUBLIC SENIOR SECONDARY SCHOOL	NEAR BYPASS CHOURAHA ,NIWARU ROAD, JHOTWARA ,JAIPUR
163.	DARBAR PUBLIC SENIOR SECONDARY SCHOOL	11-12, KALI KOTHI, NIWARU ROAD, JHOTWARA, JAIPUR
164.	JAGRITI VIDHYA MANDIR SENIOR SECONDARY SCHOOL	396, UDHYOG NAGAR, NIWARU ROAD, JHOTWARA, JAIPUR
165.	SHUKLA SHIKSHA SAMITI SENIOR SECONDARY SCHOOL	83, JAGDISH COLONY, BEHIND NETAJI KI CHAKKI, NIWARU ROAD, JHOTWARA, JAIPUR
166.	KHANDELWAL VAISH GIRLS INSTITUTE OF TECHNOLOGY	VAISHALI MARG, VAISHALI NAGAR, NEAR POLICE THANA, JAIPUR
167.	RAGHURAJ ACADEMY	14-Narsi Vihar, Bajrang Dwar, Kalwar Road, Jhotwara, Jaipur
168.	PRAKASH PUBLIC SENIOR SECONDARY SCHOOL	46-48,GANESH NAGAR, 200 FT, BY PASS, Near Niwaru Link Road,Jhotwara, Jaipur
169.	SHRI KRISHNA PUBLIC SENIOR SECONDARY SCHOOL	29-38, ASHOK VIHAR, HARNATHPURA, NIWARU ROAD(VAIDH JI KA CHAURAHA), JHOTWARA, JAIPUR
170.	SIDHARTH PUBLIC SECONDARY SCHOOL	9, JDA COLONY, SECTOR 15, SHRIRAM NAGAR, NEAR KHIRNI PHATAK, JHOTWARA, JAIPUR
171.	TAGORE PUBLIC SCHOOL	AMRAPALI CIRCLE, VAISHALI NAGAR, JAIPUR
172.	A V N PUBLIC SECONDARY SCHOOL	154-156, AK GOPALAN NAGAR, JASWANT NAGAR MOD, KHATIPURA ROAD, JAIPUR
173.	NAV JYOTI PUBLIC SENIOR SECONDARY SCHOOL	72,DEV NAGAR,CHARAN NADI,BENAR ROAD, JAIPUR
174.	PINK CITY ACADEMY SR. SEC. SCHOOL	NEAR 30 NO. BUS STAND ,KHORA BISAL, JHOTWARA, JAIPUR
175.	ANAND PUBLIC SR. SEC. SCHOOL	98,BALAJI VIHAR-25,SITAWALI PHATAK,BENAR ROAD,JHOTWARA, JAIPUR
176.	RAJASTHAN MAHILA MAHAVIDHALAYA	KESHAV NAGAR, CHARAN NADI, BY PASS ROAD, MURLIPURA SCHEME, JAIPUR
177.	VIKAS VIDHYA ASHRAM SR. SEC. SCHOOL	DADI KA PHATAK,JHOTWARA,JAIPUR
178.	ST. SAI NATH ACADEMY	17-18,GANGA VIHAR, NEAR NANGAL JAISA BOHARA,NEAR DADI KA FHATAK, JHOTWARA, JAIPUR
179.	GANPATI VIDHYA BHAWAN SR. SEC. SCHOOL	SUBHRAMPURA , KHORA BISAL,BENAD ROAD, JHOTWARA, JAIPUR
180.	TALENT PUBLIC SR. SEC. SCHOOL	GREEN TOWN,DADI KA PHATAK,BENAR ROAD,JOHTWARA,JAIPUR
181.	SHRI GOVIND COLLEGE	VILLAGE- KHORA BISAL ,NEAR GOVERMENT SCHOOL, BENAD ROAD,JHOTWARA,JAIPUR
182.	POOJA PUBLIC SCHOOL	93-104, VIJAY NAGAR VISTAR , NEAR S.P. FARM, DAULATPURA ROAD,JAIPUR
183.	VINAYAK PUBLIC SENIOR SECONDARY SCHOOL	NEAR ELECTRIC GRID SUB-STATION ,POWER HOUSE ,MACHWA ,KALWAR ROAD, JAIPUR

संभागीय आयुक्त जयपुर

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत अधिप्रमाणित

राजस्थान सरकार

कार्यालय संभागीय आयुक्त, जयपुर संभाग, जयपुर

184.	WELCOME PRIVATE I.T.I.	5-6 VIVEK VIHAR, OPP. VIJAYA BANK, HATHOJ, KALWAR ROAD, JAIPUR
185.	SHIV SHAKTI ITI COLLEGE	a-39,royal city,ridhi shidhi college ke samne,kalwar road ,manchawa, jaipur
186.	ADARSH VIDHYA MANDIR SENIOR SECONDARY SCHOOL	Ramnath Puri, Kalward Road, Jhotwara, JAIPUR
187.	KIRAN BAL BHARTI SENIOR SECONDARY SCHOOL	Kalwar Road, Govindpura, Jhotwara, Jaipur
188.	Shubh Shakti Vidyapeeth Senior Secondar School	58, Devi Nagar Vistar, Rawan Gate, Kalwar Road, Jhotwara, Jaipur
189.	INDIAN NATIONAL SENIOR SECONDARY SCHOOL	44, Laxmi Nagar, Inside Rawan gate, Harnathpura, KALWAR Road, Jhotwara, Jaipur
190.	PRINCE RESIDENTIAL SENIOR SECONDARY SECHOOL	Govindpura, Kalwar Road, Jhotwara, Jaipur
191.	NEW BLUE BELLS ACADEMY	Ganesh Nagar, Main Niwaru Road, Jhotwara, Jaipur
192.	UNIVERSE PUBLIC SENIOR SECONDARY SCHOOL	1-4,6-8, SHEKHAWAT COLONY, MEENAWALA, JAIPUR
193.	BIYANI COLLEGE OF SCIENCE & MANAGEMENT	Behind Bhatariya Bharoo temple, Kalwar-Jobner Road, Jaipur
194.	SOMANI INTERNATIONAL SCHOOL	44-45, RAMNATHPURI, KALWAR ROAD, NEAR MANGEJ SINGH PETROL PUMP, JHOTWARA, JAIPUR
195.	SRI KALYAN WORLD SCHOOL	HATHOJ, KALWAR ROAD, JAIPUR
196.	ALANKAR MAHILA P.G. MAHAVIDYALAYA	KATARIYA AGRI FARM ,SIRSI ROAD, JAIPUR
197.	ALPHA INTERNATIONAL ACADEMY	KATARIA FARM, VISHNAWALA, SIRSI ROAD, JAIPUR
198.	ALPHA INTERNATIONAL ACADEMY SENIOR SECONDARY SCHOOL	KATARIA FARM, VISHNAVALA, SIRSI ROAD, JAIPUR
199.	NEW ADARSH SR. SEC. SCHOOL	53-54,100 Feet Road, Shree Ram Nagar-GA, Indrapura, Jhotwara, Jaipur
200.	UNIVERSE GIRLS COLLEGE	SIRSI ,BEGAS ROAD , MUNDIYA RAMSAR, JAIPUR
201.	SUFAL VIDHYA PEETH SR. SEC. SCHOOL	42, ROOP NAGAR, OPP. KHARDHANI THANA, NINE DUKAN, KALWAR ROAD, JHOTWARA, JAIPUR
202.	B.D. MEMORIAL KALYAN SNSTHAN B.ED COLLEGE	IMS NAGAR, NEW ARMY AREA, NIWARU ROAD, JHOTWARA, JAIPUR
203.	paramounts vidhyashram school	GWALA BABA MODE, NIWARU ROAD, MANSARAMPURA, JOTHWARA, JAIPUR
204.	paramount public school	PLOT-173, BALAJI VIHAR 17, GOVINDPURA, KALWAR ROAD, JAIPUR
205.	NBF PUBLIC SCHOOL	GANESH NAGAR, NIWARU ROAD, JHOTWARA, JAIPUR
206.	GENIUS ACADEMY SR. SEC. SCHOOL	SUNDER VIHAR, TAKIYA KI CHOWKI, KALWAR ROAD, JHOTWARA, JAIPUR
207.	Manipal University	Ajmer Road,NearHotel Highway King, Jaipur
208.	KENDRIYA VIDYALAYA NO. 4, JAIPUR	KV NO. 4, KHATIPURA ROAD, SHAHID SAGAT SINGH MARG, JAIPUR
209.	KENDRIYA VIDYALAYA NO. 2, JAIPUR	KV NO.2 ,Army Cantt, Jhotwara ,Jaipur

संभागीय आयुक्त
जयपुर

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत
अधिप्रमाणित

सहायक लोक सूचना अधिकारी
संभागीय आयुक्त कार्यालय, जयपुर

राजस्थान सरकार

कार्यालय संभागीय आयुक्त, जयपुर संभाग, जयपुर

मैं, सभी नागरिकों को इस आदेश की पालना करने एवम् अवहेलना नहीं करने के निर्देश देता हूँ । यदि कोई व्यक्ति, उपर्युक्त प्रतिबंधात्मक आदेशों का उल्लंघन करेगा तो वह सक्षम विधिक प्रावधानों के अन्तर्गत अभियोजित किया जा सकेगा ।

यह आदेश आज दिनांक 13.7.2018 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय की मुद्रा से जारी किया गया है।

(टी. रविकान्त)
संभागीय आयुक्त

क्रमांक : प. 3 (92) का.व्य./संआज./2017/438-45 दिनांक : 13.7.2018

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर ।
2. अति. मुख्य सचिव, गृह विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर ।
3. शासन सचिव, गृह विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर ।
4. पुलिस आयुक्त, जयपुर को को. भेजकर लेख है कि इस संबंध में क्षेत्र में संचालित सभी टेलीकॉम कम्पनियों /ऑपरेटर्स से समन्वय स्थापित कर उक्त आदेश की पालना सुनिश्चित की जावें ।
5. नोडल अधिकारी, टेलीकॉम भारत संचार निगम लिमिटेड, एयरटेल, वोडाफोन, आईडिया, एयरसेल, एम.टी.एस., टाटा, रिलायन्स, जियो आदि को पालनार्थ (द्वारा पुलिस आयुक्त, जयपुर)
6. जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर ।
7. सहायक निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क कार्यालय, जयपुर को व्यापक प्रचार–प्रसार हेतु।
8. रक्षित पत्रावली ।

संभागीय आयुक्त
जयपुर

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत
अधिप्रमाणित

सहायक लोक सूचना अधिकारी
संभागीय आयुक्त कार्यालय, जयपुर

Tel: 0141-2201096 Fax : 2206400 email: divcom.jaipur@rajasthan.gov.in Room No. 101, Ground Floor, Mini Secretariat, Jaipur-16

राजस्थान सरकार

कार्यालय संभागीय आयुक्त, जयपुर संभाग, जयपुर

क्रमांक : प. 3 (92) का.व्य./संआज./2017/ दिनांक: 13.7.2018

आदेश

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर शहर (दक्षिण) ने अपने पत्रांक 1546 दिनांक 11.7.18 द्वारा अवगत कराया है कि राजस्थान पुलिस कानिस्टेबल भर्ती 2018 की लिखित परीक्षा दिनांक 14 व 15 जुलाई, 2018 को आयोजित की जा रही है । लिखित परीक्षा के दौरान नकल एवं अनुचित साधनों की रोकथाम के लिये जिला जयपुर ग्रामीण के निम्न स्थानों पर दिनांक 14 व 15.7.21018 को प्रातः 8.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक इन्टरनेट सेवाऐं बन्द कराने का अनुरोध किया है ।

राज्य में उक्त पुलिस कानिस्टेबल लिखित परीक्षा–2018 दिनांक 14.7.18 एवं 15.7.18 को प्रतिदिन दो पारियों में प्रातः 10 ए.एम. से 12 पी.एम. व 3 पी.एम. से 5 पी.एम. के मध्य आयोजित की जा रही है, जिसमें करीबन 14–15 लाख अभ्यर्थियों के भाग लेने की संभावना है । पूर्व में दिनांक 7.3.18 को पुलिस विभाग द्वारा पुलिस कानिस्टेबल लिखित ऑनलाईन परीक्षा–2018 आयोजित करवाई गई थी । लेकिन उक्त परीक्षा में इन्टरनेट संबंधी अनुचित साधनों का प्रयोग किया गया, जिसमें एस.ओ.जी द्वारा कई प्रकरण दर्ज कर गिरफ्तारियों की गई थी तथा सोशल मीडिया पर उक्त परीक्षा में गड़बंड़ी होने की खबरें प्रचारित की गई, जिसके कारण उक्त परीक्षा को निरस्त करना पड़ा ।

वर्तमान में सोशल मीडिया पर उक्त परीक्षा में गड़बडी करने की काफी अफवाहें प्रसारित की जा रही हैं । साथ ही विगत दिनों में जिला जोधपुर, सीकर व भरतपुर में कई सक्रिय नकल गिरोह पकड़ में आए हैं, जिनके खिलाफ प्रकरण पंजीबद्ध हुए हैं एवं गिरफ्तारियां भी हुई हैं । यदि उक्त परीक्षा में इन्टरनेट संबंधी अनुचित साधनों का प्रयोग होता है तो इससे परीक्षा में लाखों की संख्या में भाग ले रहे अभ्यर्थियों में काफी असंतोष उत्पन्न हो सकता है, साथ ही इससे संबंधित सूचनाऐं एवं अफवाहें भी सोशल मीडिया पर तेजी से फैलने की संभावना से कानून–व्यवस्था को प्रभावित करने वाली घटनाऐं कारित हो सकती है ।

अतः राजस्थान पुलिस कानिस्टेबल भर्ती–2018 की लिखित परीक्षा दिनांक 14 व 15 जुलाई, 2018 के दौरान सोशल मीडिया पर अनेक प्रकार की अफवाहें फैलाई जाकर कानून–व्यवस्था की स्थिति को प्रभावित करने की प्रबल संभावना है, जिससे लोक शांति भंग होने और कानून–व्यवस्था, प्रतिकूल रूप से बाधित होने की आशंका को दृष्टिगत रखते हुए हम टेलीकॉम कम्पनियों से इन्टरनेट सेवा स्थगित करवाया जाना आवश्यक समझते हैं ।

अतः जयपुर जिले के निम्न परीक्षा केन्द्रों पर कानून व्यवस्था एवं लोक सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए राजस्थान पुलिस कानिस्टेबल भर्ती–2018 की लिखित परीक्षा के दौरान भारत सरकार के संचार मंत्रालय की अधिसूचना (Temporary Suspension of Telecom Services (Public Emergency or Public Safety) Rules- 2017, दिनांक 7.8.2017 के नियम 2(1) के तहत गृह (ग्रुप–9) विभाग, राजस्थान सरकार के पत्रांक : एफ 35(1) होम–9 /2006 पार्ट दिनांक 2.9.2017 के अंतर्गत दी गई शक्तियों के अनुसरण में, मैं टी.रविकान्त, संभागीय आयुक्त, जयपुर, जयपुर जिले के ग्रामीण क्षेत्र के निम्न परीक्षा केन्द्रों पर सेवाऐं 2G / 3G /4G DATA (Mobile Internet), Internet Services, Bulk SMS/ MMS, Whatsapp, Facebook, Twitter & Other Social Media Services through Internet Service providers (Except Voice Calls & Broadband Internet) पर 14.7.18 व 15.7.21018 को प्रातः 8.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक अस्थाई प्रतिबन्ध लागू करता हूँ :–

संभागीय आयुक्त
जयपुर

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत
अधिप्रमाणित
राजकीय लोक सूचना अधिकारी
संभागीय आयुक्त कार्यालय, जयपुर

Tel: 0141-2201096 Fax : 2206400 email: divcom.jaipur@rajasthan.gov.in Room No. 101, Ground Floor, Mini Secretariat, Jaipur-16

राजस्थान सरकार

कार्यालय संभागीय आयुक्त, जयपुर संभाग, जयपुर

S.No.	Police Station	Name of Center	Address of Center
1.	Govindgarh	Late Ku. Laxmi Badhala Girls P.G. College	N.H.-52, Govindgarh, Jaipur
2.	Govindgarh	Shri Ganga Singh College	N.H.52, Govindgarh Chomu, Jaipur
3.	Govindgarh	Shri Krishna Mahavidyalaya	Anantpura Roau, Govindgarh, The.Chomu, Distt. Jaipur
4.	Govindgarh	Bright Moon Girls P.G College	Bus Stand Govindgarh, The.Chomu, Distt. Jaipur
5.	Renwal	Shri Mahaveer International School	Neasr Railway Station, Shyam Vihar, Kishangarh Renwal, Jaipur
6.	Jamwaramgarh	Shri Minesh P.G.College	RJ SH 55, Sira Sadan Bus Stand, Jamwaramgarh, Jaipur
7.	Jamwaramgarh	Rahul Chandija Memorial College	Village Post – Bhanpur Kala, Via Amer, Tehsil Jamwaramgarh, Jaipur
8.	Jamwaramgarh	Pankaj Sr. Sec. School	Neemadiya, Heerawala, Jamwaramgarh, Jaipur
9.	Chandwaji	Mahatma Jyoti Rao Phoole University	S.P. 2, 3 Kant, Kalwar, Riico Industiral Area, N.H.-8, Achrol, Jaipur
10.	Chandwaji	NIMS University	Jaipur- Delhi Highway, Shobha Nagar, National Highway 11C, Jaipur, Rajasthan

मैं, सभी नागरिकों को इस आदेश की पालना करने एवम् अवहेलना नहीं करने के निर्देश देता हूँ । यदि कोई व्यक्ति, उपर्युक्त प्रतिबंधात्मक आदेशों का उल्लंघन करेगा तो वह सक्षम विधिक प्रावधानों के अन्तर्गत अभियोजित किया जा सकेगा ।

यह आदेश आज दिनांक 13.7.2018 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय की मुद्रा से जारी किया गया है ।

संभागीय आयुक्त जयपुर

(टी. रविकान्त)
संभागीय आयुक्त
जयपुर

दिनांक :13.7.2018

क्रमांक : प. 3 (92) का.व्य./संआज./2017/ 430-37

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर ।
2. अति. मुख्य सचिव, गृह विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर ।
3. शासन सचिव, गृह विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर ।
4. जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर ।
5. पुलिस अधीक्षक, जयपुर ग्रामीण, जयपुर को भेजकर लेख है कि इस संबंध में क्षेत्र में संचालित सभी टेलीकॉम कम्पनियों /ऑपरेटर्स से समन्वय स्थापित कर उक्त आदेश की पालना सुनिश्चित की जावें ।
6. नोडल अधिकारी, टेलीकॉम भारत संचार निगम लिमिटेड, एयरटेल, वोडाफोन, आईडिया, एयरसेल, एम.टी.एस., टाटा, रिलायन्स, जियो आदि को पालनार्थ (द्वारा पुलिस अधीक्षक जयपुर ग्रामीण) ।
7. सहायक निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क कार्यालय, जयपुर को व्यापक प्रचार–प्रसार हेतु ।
8. रक्षित पत्रावली ।

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत
अधिप्रमाणित

सहायक लोक सूचना अधिकारी

संभागीय आयुक्त
जयपुर

Tel: 0141-2201096 Fax : 2206400 email: dircom.jaipur@rajasthan.gov.in Room No. 101, Ground Floor, Mini Secretariat, Jaipur-16

170

राजस्थान सरकार

कार्यालय संभागीय आयुक्त, जयपुर संभाग, जयपुर

क्रमांक : प. 3 (92) का.व्य./संआज./2017/ दिनांक:13.7.2018

आदेश

जिला मजिस्ट्रेट, अलवर ने अपने पत्रांक : 3629 दिनांक 13.7.2018 द्वारा अवगत कराया है कि राजस्थान पुलिस कानिस्टेबल भर्ती 2018 की लिखित परीक्षा दिनांक 14 व 15 जुलाई, 2018 को आयोजित की जा रही है । लिखित परीक्षा के दौरान नकल एवं अनुचित साधनों की रोकथाम के लिये अलवर जिले में दिनांक 14 व 15.7.21018 को प्रातः 8.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक इन्टरनेट सेवाऐं बन्द कराने का अनुरोध किया है ।

राज्य में उक्त पुलिस कानिस्टेबल लिखित परीक्षा–2018 दिनांक 14.7.18 एवं 15.7.18 को प्रतिदिन दो पारियों में प्रातः 10 ए.एम. से 12 पी.एन. व 3 पी.एम. से 5 पी.एम. के मध्य आयोजित की जा रही है, जिसमें करीबन 14–15 लाख अभ्यर्थियों के भाग लेने की संभावना है । पूर्व में दिनांक 7.3.18 को पुलिस विभाग द्वारा पुलिस कानिस्टेबल लिखित ऑनलाईन परीक्षा–2018 आयोजित करवाई गई थी । लेकिन उक्त परीक्षा में इन्टरनेट संबंधी अनुचित साधनों का प्रयोग किया गया, जिसमें एस.ओ.जी द्वारा कई प्रकरण दर्ज कर गिरफ्तारियों की गई थी तथा सोशल मीडिया पर उक्त परीक्षा में गड़बड़ी होने की खबरें प्रचारित की गई, जिसके कारण उक्त परीक्षा को निरस्त करना पड़ा ।

वर्तमान में सोशल मीडिया पर उक्त परीक्षा में गड़बड़ी करने की काफी अफवाहें प्रसारित की जा रही हैं । साथ ही विगत दिनों में जिला जोधपुर, सीकर व भरतपुर में कई सक्रिय नकल गिरोह पकड़ में आए हैं, जिनके खिलाफ प्रकरण पंजीबद्ध हुए हैं एवं गिरफ्तारियां भी हुई हैं । यदि उक्त परीक्षा में इन्टरनेट संबंधी अनुचित साधनों का प्रयोग होता है तो इससे परीक्षा में लाखों की संख्या में भाग ले रहे अभ्यर्थियों में काफी असंतोष उत्पन्न हो सकता है, साथ ही इससे संबंधित सूचनाऐं एवं अफवाहें भी सोशल मीडिया पर तेजी से फैलने की संभावना से कानून–व्यवस्था को प्रभावित करने वाली घटनाऐं कारित हो सकती है ।

अतः राजस्थान पुलिस कानिस्टेबल भर्ती–2018 की लिखित परीक्षा दिनांक 14 व 15 जुलाई, 2018 के दौरान सोशल मीडिया पर अनेक प्रकार की अफवाहें फैलाई जाकर कानून–व्यवस्था की स्थिति को प्रभावित करने की प्रबल संभावना है, जिससे लोक शांति भंग होने और कानून–व्यवस्था, प्रतिकूल रूप से बाधित होने की आशंका को दृष्टिगत रखते हुए हन टेलीकॉम कम्पनियों से इन्टरनेट सेवा स्थगित करवाया जाना आवश्यक समझते हैं ।

अतः जिला अलवर के निम्न परीक्षा केन्द्रों पर कानून व्यवस्था एवं लोक सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए राजस्थान पुलिस कानिस्टेबल भर्ती–2018 की लिखित परीक्षा के दौरान भारत सरकार के संचार मंत्रालय की अधिसूचना (Temporary Suspension of Telecom Services (Public Emergency or Public Safety) Rules- 2017, दिनांक 7.8.2017 के नियम 2(1) के तहत गृह (ग्रुप–9) विभाग, राजस्थान सरकार के पत्रांक : एफ 35(1) होम–9 /2006 पार्ट दिनांक 2.9.2017 के अंतर्गत दी गई शक्तियों के अनुसरण में, मैं टी. रविकान्त, संभागीय आयुक्त, जयपुर, अलवर जिले के निम्न परीक्षा केन्द्रों पर सेवाऐं 2G / 3G /4G DATA (Mobile Internet), Internet Services, Bulk SMS/ MMS, Whatsapp, Facebook, Twitter & Other Social Media Services through Internet Service providers (Except Voice Calls & Broadband Internet) पर 14.7.18 व 15.7.21018 को प्रातः 8.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक अस्थाई प्रतिबन्ध लागू करता हूँ :–

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत
अधिप्रमाणित

संभागीय आयुक्त
जयपुर

सहायक लोक सूचना अधिकारी
संभागीय आयुक्त कार्यालय, जयपुर

Phone : 0141-2201096 Fax : 2206400 email: divcom.jaipur@rajasthan.gov.in Room No. 101, Ground Floor, Mini Secretariat, Jaipur-16

राजस्थान सरकार

कार्यालय संभागीय आयुक्त, जयपुर संभाग, जयपुर

S.No.	Name of Center	Address of Center
1.	BABU SHOBHARAM GOVERNMENT ARTS COLLEGE	JAIL CIRCLE , ALWAR
2.	GAURI DEVI GOVERNMENT COLLEGE FOR WOMEN	NEAR MANU MARG CIRCLE , IN FRONT OF J. K CLUB , ALWAR
3.	ADARSH VIDHYA MANDIR SENIOR SECONDARY SCHOOL	RAJENDRA NAGAR , ALWAR
4.	SWARAJ SENIOR SECONDARY SCHOOL	60 FEET ROAD, ALWAR
5.	INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY	NORTH EXTENSION, MIA, ALWAR
6.	KHANDELWAL SENIOR SECONDARY SCHOOL	SUBHASH NAGAR , BEHIND NEB POLICE THANA, ALWAR
7.	ADINATH PUBLIC SCHOOL	11, GANDHI NAGAR, SCHEME NO 8, ALWAR
8.	LITTLE BIRDS PUBLIC SCHOOL	NEAR RAILWAY STATION , SANJAY NAGAR , KUSH MARG, ALWAR
9.	SHRI ADINATH JAIN COLLEGE EVE	11, GANDHI NAGAR, SCHEME NO 8 , ALWAR
10.	LAXMI DEVI INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY	ALWAR TIJARA DELHI HIGHWAY ROAD ,CHIKANI , ALWAR
11.	LAXMI DEVI INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY (POLYTECHNIC COLLEGE)	ALWAR TIJARA DELHI HIGHWAY ROAD ,CHIKANI , ALWAR
12.	LORDS INTERNATIONAL SCHOOL	ALWAR TIJARA DELHI HIGHWAY ROAD ,CHIKANI , ALWAR
13.	NORTHERN INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY	12th MILE STONE, ALWAR-BHIWADI MEGA HIGHWAY, ALWAR-TIJARA ROAD, ALWAR
14.	SIDDHI VINAYAK COLLEGE OF SCIENCE AND HIGHER EDUCATION	E-1 , B-1 MIA, ALWAR
15.	ADARSH VIDHYA MANDIR SENIOR SECONDARY SCHOOL	MALVIYA NAGAR , ALWAR
16.	SHRI OSWAL JAIN SENIOR SECONDARY SCHOOL WING 1	AGGARSEN MARG , NEAR BUS STAND, ALWAR
17.	SHRI OSWAL JAIN SENIOR SECONDARY SCHOOL WING 2	AGGARSEN MARG , NEAR BUS STAND, ALWAR
18.	CHILDERN ACADEMY CONVENT SCHOOL WING 2	MATHURA BHARATPUR HIGHWAY , DIWAKARI, NEAR BAKTHAL KI CHOKI, ALWAR
19.	HAPPY PUBLIC SCHOOL	SWAMI DYANAND MARG , NEAR COMPANY BAGH , ALWAR
20.	SUNRISE UNIVERSITY	VILL - BAGAD RAJPUT ,TEH - RAMGARH , ALWAR
21.	MOUNT LITERA ZEE SCHOOL	6 MILE STONE , SIRMOLI ROAD , BHIWADI - TIJARA HIGHWAY, ALWAR
22.	ST ANSELMS SENIOR SECONDARY SCHOOL	OLD DELHI ROAD , MUNGSKA , ALWAR
23.	DELHI PUBLIC SCHOOL	SHRI RAM VATIKA , KATI GHATI , JAIPUR ROAD , ALWAR
24.	NIGHTINGALE COLLEGE FOR GIRLS	VIJAY NAGAR , NEAR JAIL CIRCLE , ALWAR
25.	KENDRIYA VIDYALAYA NO 1	NEAR MOTI DUNGARI, ALWAR
26.	BANSUR P.G. COLLEGE	BYPASS ROAD, BANSUR, ALWAR
27.	MARUDHAR SENIOR. SECONDARY SCHOOL	BEHIND ANAJ MANDI, BANSUR, ALWAR
28.	MURTI DEVI P.G. COLLEGE	NEAR ANAJ MANDI, BYPASS ROAD, BANSUR , ALWAR
29.	SARASWATI MODERN SENIOR. SECONDARY SCHOOL	NARAYANPUR ROAD, BANSUR , ALWAR
30.	SMT. PARVATI DEVI GIRLS COLLEGE	NARAYANPUR ROAD, NOPALA WALI, BANSUR , ALWAR
31.	MATSYA P.G. COLLEGE	NARAYANPUR ROAD, BANSUR , ALWAR
32.	GOVERNMENT. SENIOR SECONDARY SCHOOL	BANSUR , ALWAR
33.	TAKSHILA PG COLLEGE, HAMJAPUR,BEHROR	KUND ROAD, NEAR MANCHAL BUS STAND , HAMHJAPUR BEHROR , ALWAR
34.	RAATH INTERNATIONAL SCHOOL	NH-8 BETWEEN BEHROR AND NEEMRANA DUGHERA, TEH - BEHROR, DISTRICT ALWAR
35.	BABA SHRI NARAYAN DAS ABHINAV GIRLS PG COLLEGE	NEAR SBI BANK, BEHROR , ALWAR
36.	RAJESHWAR COLLEGE	SHYAM NAGAR, OPP. OF RTDC MIDWAY HOTEL, BEHROR , ALWAR
37.	BABA KHETHANATH PG WOMEN COLLEGE BEHROR	KUND ROAD, BITHERA, BEHROR , ALWAR
38.	GLOBAL T.T. COLLEGE, KUND ROAD, BEHROR	KUND ROAD, BEHROR , ALWAR
39.	SARVODAYA BAL BHARTI SENIOR SECONDARY SCHOOL	BHARTHARI MANDIR ROAD, NEAR H.P. GAS AGENCY, BEHROR , ALWAR
40.	GOVERNMENT. COLLEGE , BEHROR	JAGUWAS ROAD, BEHROR , ALWAR
41.	GOVERNMENT SENIOR SECONDARY SCHOOL	PANCHAYAT SAMITI ROAD, BEHROR , ALWAR
42.	RAFFLES INTERNATIONAL SCHOOL	NH-8,RICCO INDUSTRIAL AREA, SOTANALA,BEHROR ,ALWAR
43.	GOVERNMENT. SENIOR SECONDARY SCHOOL	HARSOLI ROAD , WARD NO.-8 , KHAIRTHAL , ALWAR

Tel: 0141-2201096 Fax : 2206400 email: divcom.jaipur@rajasthan.gov.in Room No. 101, Ground Floor, Mini Secretariat, Jaipur-16

भागीय आयुक्त
जयपुर

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत
अधिप्रमाणित

राजस्थान सरकार
कार्यालय संभागीय आयुक्त, जयपुर संभाग, जयपुर

44.	GOVERNMENT GIRLS SENIOR SECONDARY SCHOOL	NEAR AMBEDKAR CIRCLE , KHAIRTHAL , ALWAR
45.	MAHARSHI PARSHURAM MAHILA MAHAVIDAYALAYA	ISMAILPUR ROAD WARD NO.-16 , KHAIRTHAL , ALWAR
46.	GEETA DEVI DEGREE COLLEGE	NAGAL MOZIYA , KHAIRTHAL , ALWAR
47.	KISHANGARH P.G. COLLEGE	VASISTH MARKET , KISHANGARH BAS , ALWAR
48.	BHARTIYA COLLEGE	ALWAR-BHIWADI , MEGHA HIGHWAY ROAD , KISHANGARH BAS , ALWAR
49.	DURGA DEVI SENIOR SECONDARY SCHOOL	STATE HIGHWAY , MALAKHERA , ALWAR
50.	GOVERNMENT. SENIOR. SECONDARY SCHOOL	NARAYANPUR , ALWAR
51.	VRINDAVAN INTERNATIONAL PUBLIC SCHOOL	NEAR BAWARI, NAGHORI SHILAPUR ROAD , NEEMRANA , DISTRICT ALWAR
52.	MOHAN LAL DAYAL VINAY MANDIR SCHOOL	SP-1 RIICCO INDUSTRIAL AREA NEEMRANA, DIST- ALWAR
53.	RAO SOHAN LAL COLLEGE	SHREE KRISHAN NAGAR, NEEMRANA, DIST - ALWAR
54.	RAFFLES UNIVERSITY	JAPANESE ZONE, NATIONAL HIGHWAY -8 , NEEMRANA , DIST - ALWAR
55.	GOVERNMENT P.G. COLLEGE	TEHLA ROAD, RAJGARH, ALWAR

मैं, सभी नागरिकों को इस आदेश की पालना करने एवम् अवहेलना नहीं करने के निर्देश देता हूँ । यदि कोई व्यक्ति, उपर्युक्त प्रतिबंधात्मक आदेशों का उल्लंघन करेगा तो वह सक्षम विधिक प्रावधानों के अन्तर्गत अभियोजित किया जा सकेगा ।

यह आदेश आज दिनांक 13.7.2018 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय की मुद्रा से जारी किया गया है।

संभागीय आयुक्त
संभागीय आयुक्त
जयपुर

क्रमांक : प. 3 (92) का.व्य./संआज./2017/ 422–29

दिनांक : 13.7.2018

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर ।
2. अति. मुख्य सचिव, गृह विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर ।
3. शासन सचिव, गृह विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर ।
4. जिला मजिस्ट्रेट, अलवर।
5. पुलिस अधीक्षक, अलवर को भेजकर लेख है कि इस संबध में क्षेत्र में संचालित सभी टेलीकॉम कम्पनियों /ऑपरेटर्स से समन्वय स्थापित कर उक्त आदेश की पालना सुनिश्चित की जावें ।
6. नोडल अधिकारी, टेलीकॉम भारत संचार निगम लिमिटेड, एयरटेल, वोडाफोन, आईडिया, एयरसेल, एम.टी.एस., टाटा, रिलायन्स, जियो आदि को पालनार्थ (द्वारा पुलिस अधीक्षक, अलवर) ।
7. जनसम्पर्क अधिकारी, सूचना एवं जनसम्पर्क कार्यालय, अलवर को व्यापक प्रचार–प्रसार हेतु ।
8. रक्षित पत्रावली ।

संभागीय आयुक्त
संभागीय आयुक्त
जयपुर

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत
अधिप्रमाणित

सहायक लोक सूचना अधिकारी
संभागीय आयुक्त कार्यालय, जयपुर

Tel: 0141-2201096 Fax : 2206400 email: divcom.jaipur@rajasthan.gov.in Room No. 101, Ground Floor, Mini Secretariat, Jaipur-16

190

राजस्थान सरकार

कार्यालय संभागीय आयुक्त, जयपुर संभाग, जयपुर

क्रमांक: प. 3 (92) का.व्य./संआज./2017/ दिनांक:13.7.2018

आदेश

जिला मजिस्ट्रेट, झुंझुनू ने अपने पत्रांक : 1575 दिनांक 13.7.2018 द्वारा अवगत कराया है कि राजस्थान पुलिस कानिस्टेबल भर्ती 2018 दिनांक 14 व 15 जुलाई, 2018 को लिखित परीक्षा के आयोजन के दौरान सोशल मीडिया पर अनेक प्रकार की अफवाहें फैलाई जाकर कानून–व्यवस्था की स्थिति को प्रभावित करने की प्रबल संभावना है, जिससे लोक शांति भंग होने और कानून–व्यवस्था, प्रतिकूल रूप से बाधित होने की आशंका उत्पन्न हो सकती है । ऐसी स्थिति में लोक शांति बनाये रखने हेतु झुंझुनू जिले के सम्पूर्ण क्षेत्र में दिनांक 14 व 15.7.21018 को प्रातः 8.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक इन्टरनेट सेवाऐं बन्द कराने का अनुरोध किया है ।

राज्य में उक्त पुलिस कानिस्टेबल लिखित परीक्षा–2018 दिनांक 14.7.18 एवं 15.7.18 को प्रतिदिन दो पारियों में प्रातः 10 ए.एम. से 12 पी.एम. व 3 पी.एम. से 5 पी.एम. के मध्य आयोजित की जा रही है, जिसमें करीबन 14–15 लाख अभ्यर्थियों के भाग लेने की संभावना है । पूर्व में दिनांक 7.3.18 को पुलिस विभाग द्वारा पुलिस कानिस्टेबल लिखित ऑनलाईन परीक्षा–2018 आयोजित करवाई गई थी । लेकिन उक्त परीक्षा में इन्टरनेट संबंधी अनुचित साधनों का प्रयोग किया गया, जिसमें एस.ओ.जी द्वारा कई प्रकरण दर्ज कर गिरफ्तारियों की गई थी तथा सोशल मीडिया पर उक्त परीक्षा में गड़बड़ी होने की खबरें प्रचारित की गई, जिसके कारण उक्त परीक्षा को निरस्त करना पड़ा ।

वर्तमान में सोशल मीडिया पर उक्त परीक्षा में गड़बडी करने की काफी अफवाहें प्रसारित की जा रही हैं । साथ ही विगत दिनों में जिला जोधपुर, सीकर व भरतपुर में कई सक्रिय नकल गिरोह पकड़ में आए हैं, जिनके खिलाफ प्रकरण पंजीबद्ध हुए हैं एवं गिरफ्तारियां भी हुई हैं । यदि उक्त परीक्षा में इन्टरनेट संबंधी अनुचित साधनों का प्रयोग होता है तो इससे परीक्षा में लाखों की संख्या में भाग ले रहे अभ्यर्थियों में काफी असंतोष उत्पन्न हो सकता है, साथ ही इससे संबंधित सूचनाऐं एवं अफवाहें भी सोशल मीडिया पर तेजी से फैलने की संभावना से कानून–व्यवस्था को प्रभावित करने वाली घटनाऐं कारित हो सकती है ।

अतः राजस्थान पुलिस कानिस्टेबल भर्ती–2018 की लिखित परीक्षा दिनांक 14 व 15 जुलाई, 2018 के दौरान सोशल मीडिया पर अनेक प्रकार की अफवाहें फैलाई जाकर कानून–व्यवस्था की स्थिति को प्रभावित करने की प्रबल संभावना है, जिससे लोक शांति भंग होने और कानून–व्यवस्था, प्रतिकूल रूप से बाधित होने की आशंका को दृष्टिगत रखते हुए हम टेलीकॉम कम्पन्नियों से इन्टरनेट सेवा स्थगित करवाया जाना आवश्यक समझते हैं ।

अतः जिला झुंझुनू के निम्न परीक्षा केन्द्रों पर कानून व्यवस्था एवं लोक सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए राजस्थान पुलिस कानिस्टेबल भर्ती–2018 की लिखित परीक्षा के दौरान भारत सरकार के संचार मंत्रालय की अधिसूचना (Temporary Suspension of Telecom Services (Public Emergency or Public Safety) Rules- 2017, दिनांक 7.8.2017 के नियम 2(1) के तहत गृह (ग्रुप–9) विभाग, राजस्थान सरकार के पत्रांक : एफ 35(1) होम–9 /2006 पार्ट दिनांक 2.9.2017 के अंतर्गत दी गई शक्तियों के अनुसरण में, मैं टी. रविकान्त, संभागीय आयुक्त, जयपुर, झुंझुनू जिले के निम्न परीक्षा केन्द्रों पर सेवाऐं 2G / 3G /4G DATA (Mobile Internet), Internet Services, Bulk SMS/ MMS, Whatsapp, Facebook, Twitter & Other Social Media Services through Internet Service providers (Except Voice Calls & Broadband Internet) पर 14.7.18 व 15.7.21018 को प्रातः 8.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक अस्थाई प्रतिबन्ध लागू करता हूँ :–

संभागीय आयुक्त
जयपुर

Tel: 0141-2201096 Fax : 2206400 email: divcom.jaipur@rajasthan.gov.in Room No. 101, Ground Floor, Mini Secretariat, Jaipur-16

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत
अधिप्रमाणित

राजस्थान सरकार

कार्यालय संभागीय आयुक्त, जयपुर संभाग, जयपुर

S.No.	Name of Center	Address of Center
1.	KEYSTONE GROUP OF INSTITUTIONS	PILOD, SURAJGARH, ON LOHARU - CHIRAWA - JHUNJHUNU STATE HIGHWAY, JHUNJHUNU
2.	SH. PALIRAM BRIJLAL SENIOR SECONDARY SCHOOL, SURAJGARH	WARD NO-18, SURAJGARH, JHUNJHUNU
3.	BIRLA BALIKA VIDHYAPEETH	RAM MARG, NEAR BITS, PILANI, JHUNJHUNU
4.	BIRLA TECHNICAL TRAINING INSTITUTE, PILANI	STATE HIGHWAY - 13, PILANI, JHUNJHUNU
5	SARSWATI BAL VIDYA MANDIR SENIOR SECONDARY SCHOOL	CUNDLOAD FATAK,NAWALGARH, JHUNJHUNU
6.	SUBODH PUB SENIOR SECONDARY SCHOOL	GHOOMCHAKKAR NAWALGARH, JHUNJHUNU
7.	PRERANA SENIOR SECONDARY SCHOOL, NAWALGARH (NEW)	Station Road Nawalgarh, Opp Railway Station, Nawalgarh, Jhunjhunu
8.	PRERANA SENIOR SECONDARY SCHOOL, NAWALGARH (OLD)	Station Road Nawalgarh, Opp Railway Station, Nawalgarh, Jhunjhunu
9.	SMT. KUNANI DEVI MAHILA P.G. MAHAVIDYALAYA	NEW CAMPUS, JHAJHAR ROAD, NAWALGARH, JHUNJHUNU
10.	SHRI RADHESHYAM R. MORARKA GOVERNMENT P.G. COLLEGE	ROAD NO-02,FAUZ KA MOHALA, JHUNJHUNU
11.	INDIAN PUBLIC SCHOOL	SPL 01, RIICO RESIDENTIAL COLONY, JHUNJHUNU
12.	SHAHID CARNAL J.P. JANU SENIOR SECONDARY SCHOOL	WARD NO-21,JHUNJHUNU ROAD, JHUNJHUNU
13.	KENDRIYA VIDYALAYA, JHUNJHUNU	CHURU BY PASS ROAD,BASANT VIHAR, JHUNJHUNU
14.	SETH MOTI LAL PG COLLEGE MAIN BUILDING	OPOSITE RANI SATI MANDIR, RANI SATI ROAD
15.	SETH MOTI LAL COLLEGE SCIENCE BUILDING	OPOSITE RANI SATI MANDIR, RANI SATI ROAD
16.	JHUNJHUNU ACADEMY SENIOR SECONDARY SCHOOL	Ward no-24, GAUSHALA ROAD, JHUNJHUNU
17.	RAVINDRA PUBLIC SENIOR SECONDARY SCHOOL, WING - 1	WING - 1, KISAN COLONY, JHUNJHUNU
18.	NEW INDIAN PUBLIC SENIOR SECONDARY SCHOOL	SURU ROAD, HOUSING BOARD, BASANT VIHAR, SECTOR - 4, JHUNJHUNU
19.	SMT. RAM KUMARI P.G. GIRLS COLLEGE	MUKUNDGARH MANDI, MUKUNDGARH, JHUNJHUNU
20.	BAL SADHNA SENIOR SECONDARY SCHOOL	TODI,BHODKI ROAD,GUDHAGORJI, JHUNJHUNU
21.	INDIRA BAL NIKETAN SENIOR SECONDARY SCHOOL	NEAR POWER HOUSE,TODI,UDAIPURWATI ROAD,GUDHAGORJI, JHUNJHUNU
22.	CENTRAL ACADEMY SENIOR SECONDARY SCHOOL	UDAIPURWATI, MALIKON KI DHANI , GUDHA GOURJI, JHUNJHUNUN
23.	SANSKAR SCIENCE ACADEMY SR. SEC.SCHOOL	JHUNJHUNU ROAD, TODI, GUDAGORJI, JHUNJHUNU
24.	SHRI SHRADDHANATH P.G. COLLEGE	TODI, BHORKI ROAD, GUDHA GORJI. JHUNJHUNU
25.	GUDHA PUBLIC SCHOOL	GUDHA GORJI, SH-37, JHUNJHUNU ROAD, JHUNJHUNU
26.	GINNIDEVI SATYANARAYAN SEKHSARIA GIRLS P.G. COLLEGE	Near Court Behind Sekhsaria Hospital, Pujari Colony, Chirawa
27.	SNMT GOVERNMENT GIRLS P.G. COLLEGE	Nath Ji Ka Tilla, Fauz Ka Mohalla, Bagar Road, Jhunjhunu
28.	JYOTI VIDYAPEETH SENIOR SECONDARY SCHOOL	WARD NO. 9, BY PASS CIRCLE, ISLAMPUR ROAD, BAGAR, JHUNJHUNU

संभागीय आयुक्त
जयपुर

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत
अधिप्रमाणित

राजकीय लोक सूचना अधिकारी
संभागीय आयुक्त कार्यालय, जयपुर

Tel: 0141-2201096 Fax : 2206400 email: divcom.jaipur@rajasthan.gov.in Room No. 101, Ground Floor, Mini Secretariat, Jaipur-16

राजस्थान सरकार
कार्यालय संभागीय आयुक्त, जयपुर संभाग, जयपुर

मैं, सभी नागरिकों को इस आदेश की पालना करने एवं अवहेलना नहीं करने के निर्देश देता हूँ । यदि कोई व्यक्ति, उपर्युक्त प्रतिबंधात्मक आदेशों का उल्लंघन करेगा तो वह सक्षम विधिक प्रावधानों के अन्तर्गत अभियोजित किया जा सकेगा ।

यह आदेश आज दिनांक 13.7.2018 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय की मुद्रा से जारी किया गया है।

(टी. रविकान्त)
संभागीय आयुक्त
जयपुर

क्रमांक : क. 3 (92) का.व्य./संआज./2017/ दिनांक : 13.7.2018

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर ।
2. अति. मुख्य सचिव, गृह विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर ।
3. शासन सचिव, गृह विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर ।
4. जिला मजिस्ट्रेट, झुंझुनू ।
5. पुलिस अधीक्षक, झुंझुनू को भेजकर लेख है कि इस संबंध में क्षेत्र में संचालित सभी टेलीकॉम कम्पनियों /ऑपरेटर्स से समन्वय स्थापित कर उक्त आदेश की पालना सुनिश्चित की जावें ।
6. नोडल अधिकारी, टेलीकॉम भारत संचार निगम लिमिटेड, एयरटेल, वोडाफोन, आईडिया, एयरसेल, एम.टी.एस., टाटा, रिलायन्स, जियो आदि को पालनार्थ (द्वारा पुलिस अधीक्षक, झुंझुनू) ।
7. जनसम्पर्क अधिकारी, सूचना एवं जनसम्पर्क कार्यालय, झुंझुनू को व्यापक प्रचार–प्रसार हेतु ।
8. रक्षित पत्रावली ।

संभागीय आयुक्त
संभागीय आयुक्त
जयपुर

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत
अभिप्रमाणित

सहायक लोक सूचना अधिकारी
संभागीय आयुक्त कार्यालय, जयपुर

Tel: 0141-2201096 Fax : 2206400 email: divcom.jaipar@rajasthan.gov.in Room No. 101, Ground Floor, Mini Secretariat, Jaipur-16

राजस्थान सरकार
कार्यालय संभागीय आयुक्त, जयपुर संभाग, जयपुर

क्रमांक : प. 3 (92) का.व्य./संआज./2017/ दिनांक: 13.7.2018

आदेश

जिला मजिस्ट्रेट, सीकर ने अपने पत्रांक : 1500 दिनांक 13.7.2018 द्वारा अवगत कराया है कि राजस्थान पुलिस कानिस्टेबल भर्ती 2018 की लिखित परीक्षा दिनांक 14 व 15 जुलाई, 2018 को आयोजित की जा रही है । लिखित परीक्षा के दौरान नकल एवं अनुचित साधनों की रोकथाम के लिये सीकर जिले में दिनांक 14 व 15.7.21018 को प्रातः 8.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक इन्टरनेट सेवाऐं बन्द कराने का अनुरोध किया है ।

राज्य में उक्त पुलिस कानिस्टेबल लिखित परीक्षा–2018 दिनांक 14.7.18 एवं 15.7.18 को प्रतिदिन दो पारियों में प्रातः 10 ए.एम. से 12 पी.एम. व 3 पी.एम. से 5 पी.एम. के मध्य आयोजित की जा रही है, जिसमें करीबन 14–15 लाख अभ्यर्थियों के भाग लेने की संभावना है । पूर्व में दिनांक 7.3.18 को पुलिस विभाग द्वारा पुलिस कानिस्टेबल लिखित ऑनलाइन परीक्षा–2018 आयोजित करवाई गई थी । लेकिन उक्त परीक्षा में इन्टरनेट संबंधी अनुचित साधनों का प्रयोग किया गया, जिसमें एस.ओ.जी द्वारा कई प्रकरण दर्ज कर गिरफ्तारियों की गई थी तथा सोशल मीडिया पर उक्त परीक्षा में गड़बड़ी होने की खबरें प्रचारित की गई, जिसके कारण उक्त परीक्षा को निरस्त करना पड़ा ।

वर्तमान में सोशल मीडिया पर उक्त परीक्षा में गड़बडी करने की काफी अफवाहें प्रसारित की जा रही हैं । साथ ही विगत दिनों में जिला जोधपुर, सीकर व भरतपुर में कई सक्रिय नकल गिरोह पकड़ में आए हैं, जिनके खिलाफ प्रकरण पंजीबद्ध हुए हैं एवं गिरफ्तारियां भी हुई हैं । यदि उक्त परीक्षा में इन्टरनेट संबंधी अनुचित साधनों का प्रयोग होता है तो इससे परीक्षा में लाखों की संख्या में भाग ले रहे अभ्यर्थियों में काफी असंतोष उत्पन्न हो सकता है, साथ ही इससे संबंधित सूचनाऐं एवं अफवाहें भी सोशल मीडिया पर तेजी से फैलने की संभावना से कानून–व्यवस्था को प्रभावित करने वाली घटनाऐं कारित हो सकती है ।

अतः राजस्थान पुलिस कानिस्टेबल भर्ती–2018 की लिखित परीक्षा दिनांक 14 व 15 जुलाई, 2018 के दौरान सोशल मीडिया पर अनेक प्रकार की अफवाहें फैलाई जाकर कानून–व्यवस्था की स्थिति को प्रभावित करने की प्रबल संभावना है, जिससे लोक शांति भंग होने और कानून–व्यवस्था, प्रतिकूल रूप से बाधित होने की आशंका को दृष्टिगत रखते हुए हम टेलीकॉम कम्पनियों से इन्टरनेट सेवा स्थगित करवाया जाना आवश्यक समझते हैं ।

अतः जिला सीकर के निम्न परीक्षा केन्द्रों पर कानून व्यवस्था एवं लोक सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए राजस्थान पुलिस कानिस्टेबल भर्ती–2018 की लिखित परीक्षा के दौरान भारत सरकार के संचार मंत्रालय की अधिसूचना (Temporary Suspension of Telecom Services (Public Emergency or Public Safety) Rules- 2017, दिनांक 7.8.2017 के नियम 2(1) के तहत गृह (ग्रुप–9) विभाग, राजस्थान सरकार के पत्रांक : एफ 35(1) होम–9 /2006 पार्ट दिनांक 2.9.2017 के अंतर्गत दी गई शक्तियों के अनुसरण में, मैं टी. रविकान्त, संभागीय आयुक्त, जयपुर, सीकर जिले के निम्न परीक्षा केन्द्रों पर सेवाऐं 2G / 3G /4G DATA (Mobile Internet), Internet Services, Bulk SMS/ MMS, Whatsapp, Facebook, Twitter & Other Social Media Services through Internet Service providers (Except Voice Calls & Broadband Internet) पर 14.7.18 व 15.7.21018 को प्रातः 8.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक अस्थाई प्रतिबन्ध लागू करता हूँ :–

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत
अधिप्रमाणित

संभागीय आयुक्त
जयपुर

राजस्थान लोक सूचना अधिकारी
संभागीय आयुक्त कार्यालय, जयपुर

Tel: 0141-2201096 Fax : 2206400 email: divcom.jaipur@rajasthan.gov.in Room No. 101, Ground Floor, Mini Secretariat, Jaipur-16

राजस्थान सरकार

कार्यालय संभागीय आयुक्त, जयपुर संभाग, जयपुर

S.No.	Name of Center	Address of Center
1.	NOBLE ACADEMY SENIOR SECONDARY SCHOOL, DANTARAMGARH	MAIN MARKET, DANTARAMGARH, SIKAR
2.	JAMNA GIRLS B.ED. COLLEGE	JEEVANPURA, PO - SURERA, DATARAMGARH, SIKAR
3.	ARYAN P.G. COLLEGE	IN FRONT OF B.S.N.L. OFFICE, DANTARAMGARH, SIKAR
4.	TAGORE P.G. COLLEGE	SIKAR ROAD NEAR THANA STAND DANTARAMGARH SIKAR
5.	SHRI ARJUN RAM COLLEGE	LAXMANGARH ROAD, SIKAR
6.	BABA NARSINGH DAS P.G COLLEGE	NECHAWA, TEH LAXMANGARH, SIKAR
7.	SUNRISE INTERNATIONAL PUBLIC SCHOOL	SALASAR MAIN ROAD, NECHHWA, TEH LAXMANGARH, DISTRICT SIKAR
8.	MARUDHRA POLYTECHNIC COLLEGE	MUKANGADH ROAD,BASNI, LAXMANGARH, SIKAR
9.	SHRI BHAGWANDAS TODI P.G. COLLEGE	TODI COLLEGE ROAD, LAXMANGARH, SIKAR
10.	MARUDHRA PUBLIC SENIOR SECONDARY SCHOOL	MUKANGADH ROAD,BASNI, LAXMANGARH, SIKAR
11.	CHOUDHARY GHARSIRAM PUBLIC SCHOOL	NH. 52 NEAR POWER HOUSE MANASI, LAXMANGARH, SIKAR
12.	BHARTIYA SENIOR SECONDARY SCHOOL, LAXMANGARH	MANASIYA ROAD, LAXMANGARH, SIKAR
13.	SARDAR PATEL P.G.COLLEGE	DHOD ROAD, LOSAL, SIKAR
14.	SHEKHAWATI PUBLIC SENIOR.SECONDARY SCHOOL	BHEIND POLICE STATION, SIKAR ROAD, LOSAL, SIKAR
15.	SUMITRA MEMORIAL SENIOR SECONDARY SCHOOL	WARD NO-24, LOSAL, SIKAR
16.	SHRI MANGALCHAND DIDWANIA VIDHYA MANDIR	SH 37-B, khoribrahamnan, Raghunathgarh, SIKAR
17.	ARYAN MAHILA MAHAVIDYALAYA	Near BSNL Office NH-52 Shishu Ranoli SIKAR
18.	BHARTIYA SENIOR SECONDARY SCHOOL - REENGUS	N.H. 52 BYPASS, REENGUS, SIKAR
19.	CENTRAL CHILDREN ACADEMY SR.SEC.SCHOOL	WARD NO. 8, NP REENGUS, SIKAR
20.	MAHATMA GANDHI INTERNATIONAL SCHOOL	NEAR MAHAVEER DAL, WARD NO. 3, SHRIMADHOPUR, SIKAR
21.	MAHATMA GANDHI PG COLLEGE	NEAR MAHAVEER DAL, WARD NO. 3, SHRIMADHOPUR, SIKAR
22.	S B N COLLEGE	NEAR NEW COURT,SHRIMADHOPUR, SIKAR

संभागीय आयुक्त
जयपुर

Tel: 0141-2201096 Fax : 2206400 email: divcom.jaipur@rajasthan.gov.in Room No. 101, Ground Floor, Mini Secretariat, Jaipur-16

अतिरिक्त प्रभार

राजस्थान सरकार

कार्यालय संभागीय आयुक्त, जयपुर संभाग, जयपुर

23.	GOVERNMENT SENIOR SECONDARY SCHOOL	NEAR RAILWAY STATION, SHRIMADHOPUR, SIKAR
24.	RAJASTHAN PUBLIC SENIOR SECONDARY SCHOOL	WARD NO 4 , JALPALI, SHRIMADHOPUR, SIKAR
25.	SHRI SHASTRI SENIOR SECONDARY SCHOOL	BY PASS , SHRIMADHOPUR, SIKAR
26.	VIDYA BHARTI PUBLIC SCHOOL	SECTOR C, NEAR SANWALI CIRCLE, TODI NAGAR, SIKAR
27.	TAGORE PUBLIC SENIOR SECONDARY SCHOOL	KISHAN COLONY, NAWALGARH ROAD, SIKAR
28.	BHARTI BAL NIKETAN SENIOR SECONDARY SCHOOL	Dhod Rd, Chandpol, Sikar
29.	ISLAMIA COLLEGE	KARGIL SHAHID MARG, PINK HOUSE ROAD, WARD NO. 8, SIKAR
30.	BHARTIYA MAHILA P.G. COLLEGE	BAJAJ GRAM SANWALI, JAIPUR-BIKANER BY PASS, SIKAR
31.	BHARTIYA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY	BAJAJ GRAM SANWALI, JAIPUR-BIKANER BY PASS, SIKAR
32.	BHARTIYA PUBLIC SCHOOL	BAJAJ GRAM SANWALI, JAIPUR-BIKANER BY PASS, SIKAR
33.	KENDRIYA VIDYALAYA, SIKAR	N.H. 11, FATHEPUR ROAD, SABALPURA, SIKAR
34.	SAVITRI BAI PHULE MAHILA MAHAVIDYALAYA	JHUNJHUNU BYPASS, NEAR R.T.O. OFFICE, SIKAR
35.	BHARTIYA SENIOR SECONDARY SCHOOL, SIKAR	CHOUDHARY CHARAN SINGH NAGAR, NAWALGARH ROAD, SIKAR
36.	VISHWA BHARTI P.G. COLLEGE	NEAR CIRCUIT HOUSE, JAIPUR ROAD, SIKAR
37.	GRAMIN MAHILA SHIKSHAN SANSTHAN SR.SEC SCHOOL	SH 8, Shivsinghpura, Sikar
38.	SAMBAL COOLEGE OF EDUCATION	Shivsinghpura, Sikar
39.	UNIQUE SENIOR SECONDARY SCHOOL	JANTA COLONY, NAWALGARH ROAD, SIKAR
40.	SHRI KALYAN GOVT.GIRLS COLLEGE SIKAR	SILVER JUBLEE ROAD, SIKAR
41.	RADHA KRISHAN MAROO GOVT.GIRLS SR.SEC SCHOOL SIKAR	FATEHPUR ROAD, SIKAR
42.	SHRI KALYAN GOVT SR.SEC SCHOOL SIKAR	SILVER JUBLEE ROAD, SIKAR
43.	SHRI KRISHNA SATSANG BALIKA MAHAVIDHYALAYA	GHANTA GHAR ROAD, SIKAR

संभागीय आयुक्त
जयपुर

Tel: 0141-2201096 Fax : 2206400 email: [illegible] 101, Ground Floor, Mini Secretariat, Jaipur-16

अधिप्रमाणित

राजस्थान सरकार

कार्यालय संभागीय आयुक्त, जयपुर संभाग, जयपुर

मैं, सभी नागरिकों को इस आदेश की पालना करने एवम् अवहेलना नहीं करने के निर्देश देता हूँ । यदि कोई व्यक्ति, उपर्युक्त प्रतिबंधात्मक आदेशों का उल्लंघन करेगा तो वह सक्षम विधिक प्रावधानों के अन्तर्गत अभियोजित किया जा सकेगा ।

यह आदेश आज दिनांक 13.7.2018 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय की मुद्रा से जारी किया गया है।

संभागीय आयुक्त जयपुर

(टी. रविकान्त)
संभागीय आयुक्त
जयपुर

दिनांक : 13.7.2018

क्रमांक : प. उ (92) का.व्य./संआज./2017/ 406–413

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर ।
2. अति. मुख्य सचिव, गृह विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर ।
3. शासन सचिव, गृह विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर ।
4. जिला मजिस्ट्रेट, सीकर।
5. पुलिस अधीक्षक, सीकर को भेजकर लेख है कि इस संबंध में क्षेत्र में संचालित सभी टेलीकॉम कम्पनियों /ऑपरेटर्स से समन्वय स्थापित कर उक्त आदेश की पालना सुनिश्चित की जावें ।
6. नोडल अधिकारी, टेलीकॉम भारत संचार निगम लिमिटेड, एयरटेल, वोडाफोन, आईडिया, एयरसेल, एम.टी.एस., टाटा, रिलायन्स, जियो आदि को पालनार्थ (द्वारा पुलिस अधीक्षक, सीकर) ।
7. जनसम्पर्क अधिकारी, सूचना एवं जनसम्पर्क कार्यालय, सीकर को व्यापक प्रचार–प्रसार हेतु ।
8. रक्षित पत्रावली ।

संभागीय आयुक्त
संभागीय आयुक्त
जयपुर

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत
अधिप्रमाणित

सहायक लोक सूचना अधिकारी
संभागीय आयुक्त कार्यालय, जयपुर

Tel: 0141-2201096 Fax : 2206400 email: divcom.jaipur@rajasthan.gov.in Room No. 101, Ground Floor, Mini Secretariat, Jaipur-16

राजस्थान सरकार

कार्यालय संभागीय आयुक्त, जयपुर संभाग, जयपुर

क्रमांक : प. 3 (92) का.व्य./संआज./2017/397-405 दिनांक: 13.7.2018

आदेश

जिला मजिस्ट्रेट, दौसा ने अपने पत्रांक : 4367 दिनांक 12.7.2018 द्वारा अवगत कराया है कि राजस्थान पुलिस कानिस्टेबल भर्ती 2018 की लिखित परीक्षा दिनांक 14 व 15 जुलाई, 2018 को आयोजित की जा रही है । लिखित परीक्षा के दौरान नकल एवं अनुचित साधनों की रोकथाम के लिये दौसा जिले में दिनांक 14 व 15.7.21018 को प्रातः 6.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक इन्टरनेट सेवाऐं बन्द कराने का अनुरोध किया है ।

राज्य में उक्त पुलिस कानिस्टेबल लिखित परीक्षा–2018 दिनांक 14.7.18 एवं 15.7.18 को प्रतिदिन दो पारियों में प्रातः 10 ए.एम. से 12 पी.एम. व 3 पी.एम. से 5 पी.एम. के मध्य आयोजित की जा रही है, जिसमें करीबन 14–15 लाख अभ्यर्थियों के भाग लेने की संभावना है । पूर्व में दिनांक 7.3.18 को पुलिस विभाग द्वारा पुलिस कानिस्टेबल लिखित ऑनलाईन परीक्षा–2018 आयोजित करवाई गई थी । लेकिन उक्त परीक्षा में इन्टरनेट संबंधी अनुचित साधनों का प्रयोग किया गया, जिसमें एस.ओ.जी द्वारा कई प्रकरण दर्ज कर गिरफ्तारियों की गई थी तथा सोशल मीडिया पर उक्त परीक्षा में गड़बड़ी होने की खबरें प्रचारित की गई, जिसके कारण उक्त परीक्षा को निरस्त करना पड़ा ।

वर्तमान में सोशल मीडिया पर उक्त परीक्षा में गड़बडी करने की काफी अफवाहें प्रसारित की जा रही हैं । साथ ही विगत दिनों में जिला जोधपुर, सीकर व भरतपुर में कई सक्रिय नकल गिरोह पकड़ में आए हैं, जिनके खिलाफ प्रकरण पंजीबद्ध हुए हैं एवं गिरफ्तारियां भी हुई हैं । यदि उक्त परीक्षा में इन्टरनेट संबंधी अनुचित साधनों का प्रयोग होता है तो इससे परीक्षा में लाखों की संख्या में भाग ले रहे अभ्यर्थियों में काफी असंतोष उत्पन्न हो सकता है, साथ ही इससे संबंधित सूचनाऐं एवं अफवाहें भी सोशल मीडिया पर तेजी से फैलने की संभावना से कानून–व्यवस्था को प्रभावित करने वाली घटनाऐं कारित हो सकती है ।

अतः राजस्थान पुलिस कानिस्टेबल भर्ती–2018 की लिखित परीक्षा दिनांक 14 व 15 जुलाई, 2018 के दौरान सोशल मीडिया पर अनेक प्रकार की अफवाहें फैलाई जाकर कानून–व्यवस्था की स्थिति को प्रभावित करने की प्रबल संभावना है, जिससे लोक शांति भंग होने और कानून–व्यवस्था, प्रतिकूल रूप से बाधित होने की आशंका को दृष्टिगत रखते हुए हम टेलीकॉम कम्पनियों से इन्टरनेट सेवा स्थगित करवाया जाना आवश्यक समझते हैं ।

अतः जिला दौसा के निम्न परीक्षा केन्द्रों पर कानून व्यवस्था एवं लोक सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए राजस्थान पुलिस कानिस्टेबल भर्ती–2018 की लिखित परीक्षा के दौरान भारत सरकार के संचार मंत्रालय की अधिसूचना (Temporary Suspension of Telecom Services (Public Emergency or Public Safety) Rules- 2017, दिनांक 7.8.2017 के नियम 2(1) के तहत गृह (ग्रुप–9) विभाग, राजस्थान सरकार के पत्रांक : एफ 35(1) होम–9 /2006 पार्ट दिनांक 2.9.2017 के अंतर्गत दी गई शक्तियों के अनुसरण में, मैं टी. रविकान्त, संभागीय आयुक्त, जयपुर, दौसा जिले के निम्न परीक्षा केन्द्रों पर सेवाऐं 2G / 3G /4G DATA (Mobile Internet), Internet Services, Bulk SMS/ MMS, Whatsapp, Facebook, Twitter & Other Social Media Services through Internet Service providers (Except Voice Calls & Broadband Internet) पर 14.7.18 व 15.7.21018 को प्रातः 8.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक अस्थाई प्रतिबन्ध लागू करता हूँ :–

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत
अधिप्रमाणित

संभागीय आयुक्त
जयपुर

सूचना अधिकारी
संभागीय आयुक्त कार्यालय, जयपुर

Tel: 0141-2201096 Fax : 2206400 email: divcom.jaipur@rajasthan.gov.in Room No. 101, Ground Floor, Mini Secretariat, Jaipur-16

राजस्थान सरकार

कार्यालय संभागीय आयुक्त, जयपुर संभाग, जयपुर

S.No.	Police Station	Name of Center	Address of Center
1.	Kotwali, Dausa	Government Arts College	Govt.Arts College, Agra Road, Dausa
2.	Kotwali, Dausa	Sw.Pandit Naval Kishor Sharma Gov.P.G.College	Sw.P.N.K.S.Govt. PG College, Agra Road, Janta Colony, Dausa
3.	Kotwali, Dausa	Sri Sant Sundardas Government Girls P.G.College	Gupteshwar Road, Near Gupteshwar Temple, Dausa
4.	Kotwali, Dausa	Rajasthan Engineering College	Somnath Nagar, Ganeshpura Road, Dausa
5.	Kotwali, Dausa	Prasasvi T.T.College	Collectrate Chouraha, Agra Bypass Road, Dausa

मैं, सभी नागरिकों को इस आदेश की पालना करने एवम् अवहेलना नहीं करने के निर्देश देता हूँ। यदि कोई व्यक्ति, उपर्युक्त प्रतिबंधात्मक आदेशों का उल्लंघन करेगा तो वह सक्षम विधिक प्रावधानों के अन्तर्गत अभियोजित किया जा सकेगा ।

यह आदेश आज दिनांक 13.7.2018 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय की मुद्रा से जारी किया गया है।

(टी. रविकान्त)
संभागीय आयुक्त
जयपुर

क्रमांक :– प. 3 (92) का.व्य./संआज./2017/ 397-405 दिनांक :13.7.2018

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर ।
2. अति. मुख्य सचिव, गृह विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर ।
3. शासन सचिव, गृह विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर ।
4. जिला मजिस्ट्रेट, दौसा ।
5. पुलिस अधीक्षक, दौसा को भेजकर लेख है कि इस संबंध में क्षेत्र में संचालित सभी टेलीकॉम कम्पनियों /ऑपरेटर्स से समन्वय स्थापित कर उक्त आदेश की पालना सुनिश्चित की जावें ।
6. नोडल अधिकारी, टेलीकॉम भारत संचार निगम लिमिटेड, एयरटेल, वोडाफोन, आईडिया, एयरसेल, एम.टी.एस., टाटा, रिलायन्स, जियो आदि को पालनार्थ (द्वारा पुलिस अधीक्षक, दौसा) ।
7. जनसम्पर्क अधिकारी, सूचना एवं जनसम्पर्क कार्यालय, दौसा को व्यापक प्रचार–प्रसार हेतु ।
8. रक्षित पत्रावली ।

संभागीय आयुक्त
संभागीय आयुक्त
जयपुर

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत
अधिप्रमाणित

सहायक लोक सूचना अधिकारी
संभागीय आयुक्त कार्यालय, जयपुर

232

राजस्थान सरकार
कार्यालय संभागीय आयुक्त, जयपुर संभाग, जयपुर

क्रमांक : प. 3 (92) का.व्य./संआज./2017/524-547 दिनांक: 4.8.2018

आदेश

जिला मजिस्ट्रेट, अलवर ने पत्र कमांकः न्याय/कानून व्यवस्था/2018/4089 दिनांक 4 अगस्त, 2018 , जिला मजिस्ट्रेट सीकर ने पत्र कमांकः 1670/न्याय/2018 दिनांक 4 अगस्त, 2018, जिला मजिस्ट्रेट झुंझुंनू ने पत्र कमांकः एफ.16(6)(2)न्याय/2008/1729–30 दिनांक 4.8.2018 जिला मजिस्ट्रेट दौसा ने पत्र कमांकः न्याय/इन्टरनेट सर्विस/2018/ 5360 दिनांक 4.8.2018 जिला मजिस्ट्रेट जयपुर ने पत्र कमांकः न्याय/2018/423 दिनांक 4.8.2018 द्वारा अवगत कराया है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाऐं संयुक्त प्रतियोगी (प्रारम्भिक) परीक्षा ,2018 दिनांक 5 अगस्त, 2018 के दौरान नकल एवं अनुचित साधनों की रोकथाम के लिये दिनांक 5.8.21018 को परीक्षा के दौरान इन्टरनेट सेवाऐं बन्द कराने का अनुरोध किया है ।

राज्य में उक्त राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाऐं संयुक्त प्रतियोगी (प्रारम्भिक) परीक्षा ,2018 दिनांक 5 अगस्त, 2018 को प्रातः 10.00 बजे से 1.00 पी.एम. तक राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर द्वारा आयोजित की जा रही है । सोशल मीडिया पर उक्त परीक्षा में इन्टरनेट व अन्य साधनों का दुरूपयोग कर गडबडी करने की काफी अफवाहें प्रसारित की जा रही है । विगत समय में आयोजित की गई कई परीक्षाओं में कई सक्रिय नकल गिरोह पकड में भी आये हैं , जिनके द्वारा परीक्षाओं में इन्टरनेट का दुरूपयोग कर गडबडी की गई है । चूंकि इस परीक्षा में काफी संख्या में अभ्यर्थी भाग लेगें, यदि उक्त परीक्षा में इन्टरनेट संबंधित अनुचित साधनों का उपयोग होता है एवं गडबडी की सूचनाऐं सोशल मिडिया पर प्रसारित होती है तो अभ्यर्थियों में असंतोष उत्पन्न होगा, जिससे कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न होने की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है ।

अतः राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाऐं संयुक्त प्रतियोगी (प्रारम्भिक) परीक्षा 2018 दिनांक 5 अगस्त, 2018 के दौरान जयपुर सम्भाग के जयपुर, अलवर, दौसा , सीकर, झुंझुंनू जिलों के परीक्षा केन्द्रों पर, मैं टेलीकॉम कम्पनियों से इन्टरनेट सेवा स्थगित करवाया जाना आवश्यक समझता हूँ ।

भारत सरकार के संचार मंत्रालय की अधिसूचना (Temporary Suspension of Telecom Services (Public Emergency or Public Safety) Rules- 2017 दिनांक 7.8.2017 के नियम 2(1) के तहत गृह (ग्रुप–9) विभाग, राजस्थान सरकार के पत्रांक : एफ 35(1) होम–9 /2006 पार्ट दिनांक 2.9.2017 के अंतर्गत दी गई शक्तियों के अनुसरण में, मैं टी.रविकान्त, संभागीय आयुक्त, जयपुर, जयपुर सम्भाग के जयपुर/सीकर/झुंझुंनू/अलवर/दौसा जिलों में निम्न स्थानों पर सेवाऐं 2G /3G /4G DATA (Mobile Internet), Internet Services, Bulk SMS/ MMS, Whatsapp, Facebook, Twitter & Other Social Media Services through Internet Service providers (Except Voice Calls & broadband Internet) पर 5.8.2018 को प्रातः 9.00 बजे से 1.00 पी.एम तक अस्थाई प्रतिबन्ध लागू करता हूँ :–

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत
अधिप्रमाणित

[illegible] लोक सूचना अधिकारी
[illegible] कार्यालय, जयपुर

DIVISIONAL COMMISSIONER JAIPUR

Tel: 0141-2201096 Fax : 2206400 email: divcom.jaipur@rajasthan.gov.in Room No. 101, Ground Floor, Mini Secretariat, Jaipur-16

राजस्थान सरकार

कार्यालय संभागीय आयुक्त, जयपुर संभाग, जयपुर

क.सं.	जिले का नाम	स्थान
1.	अलवर	जिला अलवर में स्थित अलवर, मालाखेडा, राजगढ, किशनगढबास तहसीलों के सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र में ।
2.	सीकर	जिला सीकर के वृत्त सीकर, थाना फतेहपुर कोतवाली, थाना लक्ष्मणगढ क्षेत्र के सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र में ।
3.	झुंझुंनू	जिला झुंझुंनू में झुंझुंनू व बगड नगर पालिका क्षेत्र में ।
4.	दौसा	जिला दौसा में पुलिस थाना कोतवाली दौसा शहर एवं पुलिस थाना सदर दौसा के शहरी क्षेत्र में
5.	जयपुर	जिला जयपुर में पुलिस आयुक्तालय जयपुर के समस्त थाना क्षेत्रों में ।

मैं, सभी नागरिकों को इस आदेश की पालना करने एवम् अवहेलना नहीं करने के निर्देश देता हूँ । यदि कोई व्यक्ति, उपर्युक्त प्रतिबंधात्मक आदेशों का उल्लंघन करेगा तो वह सक्षम विधिक प्रावधानों के अन्तर्गत अभियोजित किया जा सकेगा ।

यह आदेश आज दिनांक 4.8.2018 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय की मुद्रा से जारी किया गया है।

DIVISIONAL COMMISSIONER
संभागीय आयुक्त

क्रमांक : प. 3 (92) का.व्य./संआज./2017/ 524-547 दिनांक : 4.8.2018

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर ।
2. अति. मुख्य सचिव, गृह विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर ।
3. शासन सचिव, गृह विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर ।
4. पुलिस आयुक्त, जयपुर को भेजकर लेख है कि इस संबंध में क्षेत्र में संचालित सभी टेलीकॉम कम्पनियों /ऑपरेटर्स से समन्वय स्थापित कर उक्त आदेश की पालना सुनिश्चित की जावें ।
5. जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, जयपुर/सीकर/झुंझुनू/अलवर/दौसा ।
6. पुलिस अधीक्षक, सीकर/झुंझुंनू/अलवर/दौसा को भेजकर लेख है कि इस संबंध में क्षेत्र में संचालित सभी टेलीकॉम कम्पनियों /ऑपरेटर्स से समन्वय स्थापित कर उक्त आदेश की पालना सुनिश्चित की जावें ।
7. नोडल अधिकारी, टेलीकॉम भारत संचार निगम लिमिटेड, एयरटेल, वोडाफोन, आईडिया, एयरसेल, एम.टी.एस., टाटा, रिलायन्स, जियो आदि को पालनार्थ (द्वारा पुलिस आयुक्त जयपुर, पुलिस अधीक्षक, सीकर/झुंझुंनू/अलवर/दौसा) ।
8. जनसम्पर्क अधिकारी, सूचना एवं जनसम्पर्क कार्यालय, जयपुर / सीकर/झुंझुंनू/अलवर/दौसा को व्यापक प्रचार–प्रसार हेतु ।
9. रक्षित पत्रावली ।

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अधिप्रमाणित

जनसम्पर्क अधिकारी
संभागीय आयुक्त कार्यालय, जयपुर

संभागीय आयुक्त
DIVISIONAL COMMISSIONER
JAIPUR

Tel: 0141-2201096 Fax : 2206400 email: divcom.jaipur@rajasthan.gov.in Room No. 101, Ground Floor, Mini Secretariat, Jaipur-16

राजस्थान सरकार

कार्यालय संभागीय आयुक्त, जयपुर संभाग, जयपुर

क्रमांक : प. 3 (92) का.व्य./संआज./2017/524-540 दिनांक: 4.8.2018

आदेश

जिला मजिस्ट्रेट, अलवर ने पत्र कमांक: न्याय/कानून व्यवस्था/2018/4089 दिनांक 4 अगस्त, 2018 , जिला मजिस्ट्रेट सीकर ने पत्र कमांक: 1670/न्याय/2018 दिनांक 4 अगस्त, 2018, जिला मजिस्ट्रेट झुंझुंनू ने पत्र कमांक: एफ.16(6)(2)न्याय/2008/1729–30 दिनांक 4.8.2018 जिला मजिस्ट्रेट दौसा ने पत्र कमांक: न्याय/इन्टरनेट सर्विस/2018/ 5360 दिनांक 4.8.2018 जिला मजिस्ट्रेट जयपुर ने पत्र कमांक: न्याय/2018/423 दिनांक 4.8.2018 द्वारा अवगत कराया है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाऐं संयुक्त प्रतियोगी (प्रारम्भिक) परीक्षा ,2018 दिनांक 5 अगस्त, 2018 के दौरान नकल एवं अनुचित साधनों की रोकथाम के लिये दिनांक 5.8.21018 को परीक्षा के दौरान इन्टरनेट सेवाऐं बन्द कराने का अनुरोध किया है ।

राज्य में उक्त राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाऐं संयुक्त प्रतियोगी (प्रारम्भिक) परीक्षा ,2018 दिनांक 5 अगस्त, 2018 को प्रातः 10.00 बजे से 1.00 पी.एम. तक राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर द्वारा आयोजित की जा रही है । सोशल मीडिया पर उक्त परीक्षा में इन्टरनेट व अन्य साधनों का दुरूपयोग कर गडबडी करने की काफी अफवाहें प्रसारित की जा रही है । विगत समय में आयोजित की गई कई परीक्षाओं में कई सक्रिय नकल गिरोह पकड में भी आये हैं , जिनके द्वारा परीक्षाओं में इन्टरनेट का दुरूपयोग कर गडबडी की गई है । चूंकि इस परीक्षा में काफी संख्या में अभ्यर्थी भाग लेगें, यदि उक्त परीक्षा में इन्टरनेट संबंधित अनुचित साधनों का उपयोग होता है एवं गडबडी की सूचनाऐं सोशल मिडिया पर प्रसारित होती है तो अभ्यर्थियों में असंतोष उत्पन्न होगा, जिससे कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न होने की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है ।

अतः राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाऐं संयुक्त प्रतियोगी (प्रारम्भिक) परीक्षा 2018 दिनांक 5 अगस्त, 2018 के दौरान जयपुर सम्भाग के जयपुर, अलवर, दौसा , सीकर, झुंझुंनू जिलों के परीक्षा केन्द्रों पर, मैं टेलीकॉम कम्पनियों से इन्टरनेट सेवा स्थगित करवाया जाना आवश्यक समझता हूँ ।

भारत सरकार के संचार मंत्रालय की अधिसूचना (Temporary Suspension of Telecom Services (Public Emergency or Public Safety) Rules- 2017, दिनांक 7.8.2017 के नियम 2(1) के तहत गृह (ग्रुप–9) विभाग, राजस्थान सरकार के पत्रांक : एफ 35(1) होम–9 /2006 पार्ट दिनांक 2.9.2017 के अंतर्गत दी गई शक्तियों के अनुसरण में, मैं टी.रविकान्त, संभागीय आयुक्त, जयपुर, जयपुर सम्भाग के जयपुर/सीकर/झुंझुंनू/अलवर/दौसा जिलों में निम्न स्थानों पर सेवाऐं 2G / 3G /4G DATA (Mobile Internet), Internet Services, Bulk SMS/ MMS, Whatsapp, Facebook, Twitter & Other Social Media Services through Internet Service providers (Except Voice Calls & broadband Internet) पर 5.8.2018 को प्रातः 9.00 बजे से 1.00 पी.एम तक अस्थाई प्रतिबन्ध लागू करता हूँ :–

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत
अधिप्रमाणित

DIVISIONAL COMMISSIONER
JAIPUR

Tel: 0141-2201096 Fax : 2206400 email: divcom.jaipur@rajasthan.gov.in Room No. 101, Ground Floor, Mini Secretariat, Jaipur-16

राजस्थान सरकार

कार्यालय संभागीय आयुक्त, जयपुर संभाग, जयपुर

क.सं.	जिले का नाम	स्थान
1.	अलवर	जिला अलवर में स्थित अलवर, मालाखेडा, राजगढ, किशनगढबास तहसीलों के सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र में ।
2.	सीकर	जिला सीकर के वृत्त सीकर, थाना फतेहपुर कोतवाली, थाना लक्ष्मणगढ क्षेत्र के सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र में ।
3.	झुंझुनू	जिला झुंझुनू में झुंझुनू व बगड नगर पालिका क्षेत्र में ।
4.	दौसा	जिला दौसा में पुलिस थाना कोतवाली दौसा शहर एवं पुलिस थाना सदर दौसा के शहरी क्षेत्र में
5.	जयपुर	जिला जयपुर में पुलिस आयुक्तालय जयपुर के समस्त थाना क्षेत्रों में ।

मैं, सभी नागरिकों को इस आदेश की पालना करने एवम् अवहेलना नहीं करने के निर्देश देता हूँ । यदि कोई व्यक्ति, उपर्युक्त प्रतिबंधात्मक आदेशों का उल्लंघन करेगा तो वह सक्षम विधिक प्रावधानों के अन्तर्गत अभियोजित किया जा सकेगा ।

यह आदेश आज दिनांक 4.8.2018 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय की मुद्रा से जारी किया गया है।

DIVISIONAL COMMISSIONER
संभागीय आयुक्त

कमांक : प. 3 (92) का.व्य./संआज./2017/ 524-547 दिनांक : 4.8.2018

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर ।
2. अति. मुख्य सचिव, गृह विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर ।
3. शासन सचिव, गृह विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर ।
4. पुलिस आयुक्त, जयपुर को भेजकर लेख है कि इस संबंध में क्षेत्र में संचालित सभी टेलीकॉम कम्पनियों /ऑपरेटर्स से समन्वय स्थापित कर उक्त आदेश की पालना सुनिश्चित की जावें ।
5. जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, जयपुर/सीकर/झुंझुंनू/अलवर/दौसा ।
6. पुलिस अधीक्षक, सीकर/झुंझुंनू/अलवर/दौसा को भेजकर लेख है कि इस संबंध में क्षेत्र में संचालित सभी टेलीकॉम कम्पनियों /ऑपरेटर्स से समन्वय स्थापित कर उक्त आदेश की पालना सुनिश्चित की जावें ।
7. नोडल अधिकारी, टेलीकॉम भारत संचार निगम लिमिटेड, एयरटेल, वोडाफोन, आईडिया, एयरसेल, एम.टी.एस., टाटा, रिलायन्स, जियो आदि को पालनार्थ (द्वारा पुलिस आयुक्त जयपुर, पुलिस अधीक्षक, सीकर/झुंझुंनू/अलवर/दौसा) ।
8. जनसम्पर्क अधिकारी, सूचना एवं जनसम्पर्क कार्यालय, जयपुर / सीकर/झुंझुंनू/अलवर/दौसा को व्यापक प्रचार–प्रसार हेतु ।
9. रक्षित पत्रावली ।

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अधिप्रमाणित

लोक सूचना अधिकारी
संभागीय आयुक्त कार्यालय, जयपुर

संभागीय आयुक्त
DIVISIONAL COMMISSIONER
JAIPUR

Tel: 0141-2201096 Fax : 2206405 email: divcom.jaipur@rajasthan.gov.in Room No. 101, Ground Floor, Mini Secretariat, Jaipur-16

राजस्थान सरकार

कार्यालय संभागीय आयुक्त, जयपुर संभाग, जयपुर

क्रमांक : प. 3 (92) का.व्य./संआज./2017/735-43 दिनांक: 9.10.2018

आदेश

महानिरीक्षक पुलिस, जयपुर रेंज, जयपुर ने अपने पत्रांक : 16649 दिनांक 9.10.2018 द्वारा अवगत कराया है कि दिनांक 6 व 7.10.18 के मध्य अपराधियों से आमना–सामना होने पर अपराधियों द्वारा चलाई गई गोली से थानाधिकारी, फतेहपुर कोतवाली, जिला सीकर श्री मुकेश कानूनगो तथा एक कानि0 श्री राम प्रकाश की मृत्यु हो गई थी । उक्त घटना के बाद अपराधियों द्वारा पुनः फतेहपुर कस्बे में जाकर फायरिंग की घटना घटित की ।

घटना में शामिल अपराधीगण थाना फतेहपुर, सीकर के आसपास के रहने वाले हैं तथा इनकी गैंग में हरियाणा के अपराधी भी हो सकते है। ये पूर्व में भी गंभीर अपराधी प्रकरणों में लिप्त रहे है। मुख्य आरोपी एवं इलाके के अन्य अपराधी अपना वर्चस्व दर्शाने के लिये व्यग्र हैं । ये उसकी संलग्न फेसबुक पोस्ट, विभिन्न सूत्रों से प्राप्त सूचना एवं हाल में घटित आपराधिक घटनाओं से पुष्ट होता है । ये अपराधी आसपास के क्षेत्र में ही छिपे होने की सूचना प्राप्त हो रही हैं । विश्वसनीय सूचना मिली हैं कि ये अपराधीगण केवल व्हाट्सएप पर कॉल के जरिये अपने गैंग के सदस्यों के सम्पर्क में हैं तथा साथ ही और भी गंभीर घटना कारित करने की फिराक में है । अगर वे कोई भी बिजनैसमैन या सिविलियन को क्षति कारित करते हैं तो कानून व्यवस्था की गंभीर स्थिति पैदा होगी । अतः इनकी योजनाओं को विफल करने के लिये अगले 5 दिनों हेतु कस्बा फतेहपुर के 50 कि.मी. के दायरे में मोबाईल बेस्ड इन्टरनेट सेवाऐं बन्द किये जाने का अनुरोध किया है।

अतः उक्त घटना को लेकर अपराधीगणों द्वारा वाट्सअप कॉल के माध्यम से अपनी गैंग के सदस्यों के सम्पर्क में रहकर और भी गंभीर घटना कारित करने की फिराक में होने से साम्प्रदायिक सद्भाव व कानून व्यवस्था की स्थिति प्रभावित होने, लोक शान्ति भंग होने तथा सामाजिक सौहार्द प्रतिकूल रूप से बाधित होने की आशंका को दृष्टिगत रखते हुये महानिरीक्षक पुलिस, जयपुर रेंज, जयपुर की उक्त अनुशंषा के आधार पर मैं टेलीकॉम कम्पनियों से उक्त क्षेत्र में मोबाईल इंटरनेट सेवाऐं स्थगित करवाया जाना आवश्यक समझता हूँ ।

भारत सरकार के संचार मंत्रालय की अधिसूचना (Temporary Suspension of Telecom Services (Public Emergency or Public Safety) Rules- 2017, दिनांक 7.8.2017 के नियम 2(1) के तहत गृह (ग्रुप–9) विभाग, राजस्थान सरकार के पत्रांक : एफ 35(1) होम–9 /2006 पार्ट दिनांक 2.9.2017 के अंतर्गत दी गई शक्तियों के अनुसरण में, मैं टी.रविकान्त, संभागीय आयुक्त, जयपुर जिला सीकर के कस्बा फतेहपुर के 50 कि.मी. के दायरे मे सेवायें 2G / 3G /4G DATA (Mobile Internet), Internet Services, Bulk SMS/ MMS, Whatsapp, Facebook, Twitter & Other Social Media Services through Internet Service providers (Except Voice Calls & broadband Internet) पर दिनांक 9.10.2018 को सायं 8.00 बजे से दिनांक 11.10.2018 को दोपहर 12.00 बजे तक अस्थाई प्रतिबन्ध लागू करता हूँ ।

मैं, सभी नागरिकों को इस आदेश की पालना करने एवम् अवहेलना नहीं करने के निर्देश देता हूँ । यदि कोई व्यक्ति, उपर्युक्त प्रतिबंधात्मक आदेशों का उल्लंघन करेगा तो वह सक्षम विधिक प्रावधानों के अन्तर्गत अभियोजित किया जा सकेगा ।

यह आदेश आज दिनांक 9.10.2018 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय की मुद्रा से जारी किया गया है।

9/x/18

(टी. रविकान्त)
संभागीय आयुक्त
Divisional Commissioner
Jaipur जयपुर

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत
अधिप्रमाणित

लोक सूचना अधिकारी
संभागीय आयुक्त कार्यालय, जयपुर

Tel: 0141-2201096 Fax : 2206400 email: divcom.jaipur@rajasthan.gov.in Room No. 101, Ground Floor, Mini Secretariat, Jaipur-16

राजस्थान सरकार

कार्यालय संभागीय आयुक्त, जयपुर संभाग, जयपुर

क्रमांक : प. 3 (92) का.व्य./संआज./2017/735-43 दिनांक : 9.10.2018

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर ।
2. अति. मुख्य सचिव, गृह विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर ।
3. शासन सचिव, गृह विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर ।
4. महानिरीक्षक पुलिस, जयपुर रेंज, जयपुर ।
5. जिला मजिस्ट्रेट, सीकर।
6. पुलिस अधीक्षक, सीकर को भेजकर लेख है कि इस संबंध में क्षेत्र में संचालित सभी टेलीकॉम कम्पनियों /ऑपरेटर्स से समन्वय स्थापित कर उक्त आदेश की पालना सुनिश्चित की जावें ।
7. नोडल अधिकारी, टेलीकॉम भारत संचार निगम लिमिटेड, एयरटेल, वोडाफोन, आईडिया, एयरसेल, एम.टी. एस., टाटा, रिलायन्स, जियो आदि को पालनार्थ (द्वारा पुलिस अधीक्षक, सीकर) ।
8. जनसम्पर्क अधिकारी, सूचना एवं जनसम्पर्क कार्यालय, सीकर को व्यापक प्रचार–प्रसार हेतु /रक्षित पत्रावली ।

संभागीय आयुक्त
Divisional Commissioner
Jaipur (Raj.)

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत
अभिप्रमाणित

राजस्थान लोक सूचना अधिकारी
संभाग आयुक्त कार्यालय, जयपुर

Tel: 0141-2201096 Fax : 2206400 email: divcom.jaipur@rajasthan.gov.in Room No. 101, Ground Floor, Mini Secretariat, Jaipur-16

राजस्थान सरकार

कार्यालय संभागीय आयुक्त, जयपुर संभाग, जयपुर

302

क्रमांक : प. 3 (92) का.व्य./संआज./ 439 दिनांक: 25.04.2019

आदेश

जिला मजिस्ट्रेट सीकर ने पत्र क्रमांक : न्याय/2019/717 दिनांक 25 अप्रेल 2019 द्वारा अवगत कराया है कि जिला सीकर में दिनांक 17.04.2019 की रात्रि को 2.30 ए.एम पर ग्राम नागवा से लगभग 4 किलोमीटर दूर समाज विशेष की विवाहित युवती का दो गाडियों में आए दूसरे समाज के बदमाशों द्वारा अपहरण की घटना कारित की गई है। उक्त घटनाक्रम में की गई कार्यवाही को लेकर समाज विशेष द्वारा आक्रोशित होकर दिनांक 25.04.19 को धरना, प्रदर्शन व अनिश्चितकालीन सीकर बन्द की घोषणा की गई है।

उक्त सम्बन्ध में वर्तमान स्थिति के तनाव के मध्यनजर घटना को लेकर धरने, प्रदर्शन के दौरान असामाजिक तत्वों के द्वारा फेसबुक, व्हाटसएम के माध्यम से अफवाहें फैलाकर सामाजिक सद्भाव व कानून व्यवस्था की स्थिति प्रभावित होने, लोक शान्ति भंग होने तथा सामाजिक सौहार्द प्रतिकूल रूप से बाधित होने की आंशका के मध्यनजर जिला सीकर के सम्पूर्ण सीमा श्रेत्र में Information technology (Procedure & safeguardsfor blocking of access of information by Public) Rules 2009, read with clause (2) of sub-section (2) of section 87 & 69 A (2) of I.T. Act 2000 के तहत इन्टरनेट सेवा को निम्न प्रकार से प्रतिबंध करने हेतु आदेश जारी किये जाने का अनुरोध किया है।

अतः जिला सीकर के सम्पूर्ण क्षेत्र में कानून व्यवस्था, साम्प्रदायिक सौहार्द एवं लोक सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए भारत सरकार के संचार मंत्रालय की अधिसूचना (Temporary Suspension of Telecom Services (Public Emergency or Public Safety) Rules- 2017, दिनांक 7.8.2017 के नियम 2(1) के तहत गृह (ग्रुप–9) विभाग, राजस्थान सरकार के पत्रांक : एफ 35(1) होम–9 / 2006 पार्ट दिनांक 2.9.2017 के अंतर्गत दी गई शक्तियों के अनुसरण में, मैं के.सी. वर्मा, संभागीय आयुक्त, जयपुर संभाग, जयपुर, जिला सीकर के सम्पूर्ण क्षेत्र में 2G / 3G /4G DATA (Mobile Internet), Internet Services, Bulk SMS/ MMS, Whatsapp, Facebook, Twitter & Other Social Media Services through Internet Service providers (Except Voice Calls & broadband Internet) सेवाओं पर 25.04.2019 को सायं 5.00 (पी.एम) बजे से (आगामी 6 घंटे के लिए) दिनांक 25.04.2019 को रात्रि 11.00 (पी.एम.) तक अस्थाई प्रतिबन्ध लागू करता हूँ।

मैं, सभी नागरिकों को इस आदेश की पालना करने एवम् अवहेलना नहीं करने के निर्देश देता हूँ । यदि कोई व्यक्ति, उपर्युक्त प्रतिबंधात्मक आदेशों का उल्लंघन करेगा तो वह सक्षम विधिक प्रावधानों के अन्तर्गत अभियोजित किया जा सकेगा ।

यह आदेश आज दिनांक 25.4.2019 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय की मुद्रा से जारी किया गया है।

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत
अधिप्रमाणित

राजकीय लोक सूचना अधिकारी
संभागीय आयुक्त कार्यालय, जयपुर

(के.सी वर्मा)
संभागीय आयुक्त
संभागीय आयुक्त
जयपुर

Tel: 0141-2201096 Fax : 2206400 email: divcom.jaipur@rajasthan.gov.in Room No. 101, Ground Floor, Mini Secretariat, Jaipur-16

303

राजस्थान सरकार

कार्यालय संभागीय आयुक्त, जयपुर संभाग, जयपुर

क्रमांक : प. 3 (92) का.व्य./संआज./ 448–452 दिनांक : 25.04.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर ।
2. अति. मुख्य सचिव, गृह विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर ।
3. शासन सचिव, गृह विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर ।
4. महानिरीक्षक पुलिस, जयपुर रेंज, जयपुर।
5. जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, सीकर ।
6. पुलिस अधीक्षक, सीकर को भेजकर लेख है कि इस संबंध में क्षेत्र में संचालित सभी टेलीकॉम कम्पनियों /ऑपरेटर्स से समन्वय स्थापित कर उक्त आदेश की पालना सुनिश्चित की जावें ।
7. नोडल अधिकारी, टेलीकॉम भारत संचार निगम लिमिटेड, एयरटेल, वोडाफोन, आईडिया, एयरसेल, एम. टी.एस., टाटा, रिलायन्स, जियो आदि को पालनार्थ (पुलिस अधीक्षक, सीकर) ।
8. जनसम्पर्क अधिकारी, सूचना एवं जनसम्पर्क कार्यालय, सीकर को व्यापक प्रचार–प्रसार हेतु ।
9. रक्षित पत्रावली ।

संभागीय आयुक्त
जयपुर

संभागीय आयुक्त
जयपुर

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत
अधिप्रमाणित

सहायक लोक सूचना अधिकारी
संभाग कार्यालय, जयपुर

Tel: 0141-2201096 Fax : 2206400 email: divcom.jaipur@rajasthan.govin Room No. 101, Ground Floor, Mini Secretariat, Jaipur-16

309

राजस्थान सरकार

कार्यालय संभागीय आयुक्त, जयपुर संभाग, जयपुर

क्रमांक : प. 3 (92) का.व्य./संआज./416-438 दिनांक: 24.04.2019

आदेश

जिला मजिस्ट्रेट सीकर ने पत्र क्रमांक: /न्याय/2019/703 दिनांक 24 अप्रेल 2019 द्वारा अवगत कराया है कि जिला सीकर में दिनांक 17.04.2019 की रात्रि को 2.30 ए.एम ग्राम नागवा से लगभग 4 किलोमीटर दूर समाज विशेष की विवाहित युवती का दो गाडियों में आए दूसरे समाज के बदमाशों द्वारा अपहरण की घटना कारित की गई है। उक्त घटना को लेकर समाज विशेष द्वारा आक्रोशित होकर दिनांक 25.04.19 को धरना, प्रदर्शन व अनिश्चितकालीन सीकर बन्द की घोषणा की गई है।

उक्त सम्बन्ध में वर्तमान स्थिति के तनाव के मध्यनजर घटना को लेकर धरने, प्रदर्शन के दौरान असामाजिक तत्वों के द्वारा फेसबुक, व्हाटसएम के माध्यम से अफवाहें फैलाकर सामाजिक सद्भाव व कानून व्यवस्था की स्थिति प्रभावित होने, लोक शान्ति भंग होने तथा सामाजिक सौहार्द प्रतिकूल रूप से बाधित होने की आंशका के मध्यनजर जिला सीकर के सम्पूर्ण सीमा श्रेत्र में Information technology (Procedure & safeguardsfor blocking of access of information by Public) Rules 2009, read with clause (2) of sub-section (2) of section 87 & 69 A (2) of I.T. Act 2000 के तहत इन्टरनेट सेवा को निम्न प्रकार से प्रतिबंध करने हेतु आदेश जारी किया जाने का अनुरोध किया है।

अतः जिला सीकर के सम्पूर्ण क्षेत्र में कानून व्यवस्था, साम्प्रदायिक सौहार्द एवं लोक सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए भारत सरकार के संचार मंत्रालय की अधिसूचना (Temporary Suspension of Telecom Services (Public Emergency or Public Safety) Rules- 2017, दिनांक 7.8.2017 के नियम 2(1) के तहत गृह (ग्रुप–9) विभाग, राजस्थान सरकार के पत्रांक : एफ 35(1) होम–9/2006 पार्ट दिनांक 2.9.2017 के अंतर्गत दी गई शक्तियों के अनुसरण में, मैं के.सी. वर्मा, संभागीय आयुक्त, जयपुर, जयपुर सम्भाग के जिला सीकर के सम्पूर्ण क्षेत्र में सेवाऐं 2G / 3G /4G DATA (Mobile Internet), Internet Services, Bulk SMS/ MMS, Whatsapp, Facebook, Twitter & Other Social Media Services through Internet Service providers (Except Voice Calls & broadband Internet) पर 24.04.2019 को रात्रि 9.00 (पी.एम) बजे से (आगामी 20 घंटे के लिए) दिनांक 25.04.2019 को सांय 5.00 पी.एम तक अस्थाई प्रतिबन्ध लागू करता हूं।

मैं, सभी नागरिकों को इस आदेश की पालना करने एवम् अवहेलना नहीं करने के निर्देश देता हूँ । यदि कोई व्यक्ति, उपर्युक्त प्रतिबंधात्मक आदेशों का उल्लंघन करेगा तो वह सक्षम विधिक प्रावधानों के अन्तर्गत अभियोजित किया जा सकेगा ।

यह आदेश आज दिनांक 24.4.2019 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय की मुद्रा से जारी किया गया है।

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत
अधिप्रमाणित

सहायक लोक सूचना अधिकारी

(के.सी वर्मा)
संभागीय आयुक्त
संभागीय आयुक्त
जयपुर

Tel: 0141-2201096 Fax : 2206400 email: divcom.jaipur@rajasthan.gov.in, Room No. 101, Ground Floor, Mini Secretariat, Jaipur-16

310

राजस्थान सरकार

कार्यालय संभागीय आयुक्त, जयपुर संभाग, जयपुर

क्रमांक : प. 3 (92) का.व्य./संआज./ 422-428 दिनांक : 24/4/19

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर ।
2. अति. मुख्य सचिव, गृह विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर ।
3. शासन सचिव, गृह विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर ।
4. महानिरीक्षक पुलिस, जयपुर रेंज, जयपुर।
5. जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, सीकर ।
6. पुलिस अधीक्षक, सीकर को भेजकर लेख है कि इस संबंध में क्षेत्र में संचालित सभी टेलीकॉम कम्पनियों /ऑपरेटर्स से समन्वय स्थापित कर उक्त आदेश की पालना सुनिश्चित की जावें ।
7. नोडल अधिकारी, टेलीकॉम भारत संचार निगम लिमिटेड, एयरटेल, वोडाफोन, आईडिया, एयरसेल, एम. टी.एस., टाटा, रिलायन्स, ज़ियो आदि को पालनार्थ (पुलिस अधीक्षक, सीकर) ।
8. जनसम्पर्क अधिकारी, सूचना एवं जनसम्पर्क कार्यालय, सीकर को व्यापक प्रचार–प्रसार हेतु ।
9. रक्षित पत्रावली ।

संभागीय आयुक्त
संभागीय आयुक्त
जयपुर

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत
अधिप्रमाणित

राजपत्रित लोक सूचना अधिकारी
संभागीय आयुक्त कार्यालय, जयपुर

Tel: 0141-2201096 Fax : 2206400 email: divcom.jaipur@rajasthan.gov.in Room No. 101, Ground Floor, Mini Secretariat, Jaipur-16

राजस्थान सरकार
कार्यालय संभागीय आयुक्त, जयपुर संभाग, जयपुर

316

क्रमांक : प. 3 (92) का.व्य./संआज./397-413 दिनांक: 19.04.2019

आदेश

जिला मजिस्ट्रेट सीकर ने पत्र क्रमांक: /न्याय/2019/674 दिनांक 19 अप्रेल 2019 द्वारा अवगत कराया है कि जिला सीकर में दिनांक 17.04.2019 की रात्रि को 2.30 ए.एम ग्राम नागवा से लगभग 4 किलोमीटर दूर समाज विशेष की विवाहित युवती का दो गाडियों में आए दूसरे समाज के बदमाशों द्वारा अपहरण की घटना कारित की गई है। उक्त घटना को लेकर समाज विशेष द्वारा आकोशित होकर धरना, प्रदर्शन की घोषणा की गई है। उक्त सम्बन्ध में वर्तमान स्थिति के तनाव के मध्यनजर घटना को लेकर धरने, प्रदर्शन के दौरान असामाजिक तत्वों के द्वारा फेसबुक, व्हाटसएम के माध्यम से अफवाहें फैलाकर सामाजिक सद्भाव व कानून व्यवस्था की स्थिति प्रभावित होने, लोक शान्ति भंग होने तथा सामाजिक सौहार्द प्रतिकूल रूप से बाधित होने की आंशका के मध्यनजर जिला सीकर के सम्पूर्ण सीमा श्रेत्र में Information technology (Procedure & safeguardsfor blocking of access of information by Public) Rules 2009, read with clause (2) of sub-section (2) of section 87 & 69 A (2) of I.T. Act 2000 के तहत इन्टरनेट सेवा को निम्न प्रकार से प्रतिबंध करने हेतु आदेश जारी किया जाने का अनुरोध किया है।

अतः जिला सीकर के सम्पूर्ण क्षेत्र में कानून व्यवस्था, साम्प्रदायिक सौहार्द एवं लोक सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए भारत सरकार के संचार मंत्रालय की अधिसूचना (Temporary Suspension of Telecom Services (Public Emergency or Public Safety) Rules- 2017, दिनांक 7.8.2017 के नियम 2(1) के तहत गृह (ग्रुप–9) विभाग, राजस्थान सरकार के पत्रांक : एफ 35(1) होम–9 /2006 पार्ट दिनांक 2.9.2017 के अंतर्गत दी गई शक्तियों के अनुसरण में, **मैं के.सी. वर्मा, संभागीय आयुक्त, जयपुर, जयपुर सम्भाग के जिला सीकर के सम्पूर्ण क्षेत्र में सेवाऐं 2G / 3G /4G DATA (Mobile Internet), Internet Services, Bulk SMS/ MMS, Whatsapp, Facebook, Twitter & Other Social Media Services** through Internet Service providers (Except Voice Calls & broadband Internet) पर 20.04.2019 को प्रात 6.00 बजे से (आगामी 12 घंटे के लिए) दिनांक 20.04.2019 को सांय 6.00 पी.एम तक अस्थाई प्रतिबन्ध लागू करता हूं।

मैं, सभी नागरिकों को इस आदेश की पालना करने एवम् अवहेलना नहीं करने के निर्देश देता हूँ । यदि कोई व्यक्ति, उपर्युक्त प्रतिबंधात्मक आदेशों का उल्लंघन करेगा तो वह सक्षम विधिक प्रावधानों के अन्तर्गत अभियोजित किया जा सकेगा ।

यह आदेश आज दिनांक 19.4.2019 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय की मुद्रा से जारी किया गया है।

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत
अधिप्रमाणित

लोक सूचना अधिकारी
संभागीय आयुक्त कार्यालय, जयपुर

(के.सी वर्मा)
संभागीय आयुक्त
जयपुर

Tel: 0141-2201096 Fax : 2206400 email: divcom.jaipur@rajasthan.gov.i Room No. 101, Ground Floor, Mini secretariat, Jaipur-16

317

क्रमांक : प. 3 (92) का.व्य./संआज./ 397 - 413 दिनांक : 19/4/19

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर ।
2. अति. मुख्य सचिव, गृह विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर ।
3. शासन सचिव, गृह विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर । पुलिस महानिरीक्षक जयपुर रेंज जयपुर
4. जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, सीकर ।
5. पुलिस अधीक्षक, सीकर को भेजकर लेख है कि इस संबंध में क्षेत्र में संचालित सभी टेलीकॉम कम्पनियों /ऑपरेटर्स से समन्वय स्थापित कर उक्त आदेश की पालना सुनिश्चित की जावें ।
6. नोडल अधिकारी, टेलीकॉम भारत संचार निगम लिमिटेड, एयरटेल, वोडाफोन, आईडिया, एयरसेल, एम.टी.एस., टाटा, रिलायन्स, जियो आदि को पालनार्थ (पुलिस अधीक्षक, सीकर) ।
7. जनसम्पर्क अधिकारी, सूचना एवं जनसम्पर्क कार्यालय, सीकर को व्यापक प्रचार–प्रसार हेतु ।
8. रक्षित पत्रावली ।

संभागीय आयुक्त
संभागीय आयुक्त
जयपुर

संभागीय आयुक्त जयपुर

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत
अभिप्रमाणित

राजकीय लोक सूचना अधिकारी
संभागीय आयुक्त कार्यालय, जयपुर

राजस्थान सरकार

कार्यालय संभागीय आयुक्त, जयपुर संभाग, जयपुर

326

क्रमांक : प. 3 (92) का.व्य./संआज./1015-31 दिनांक: 02.07.2019

आदेश

पुलिस आयुक्त, जयपुर ने पत्र क्रमांक : व–19 ( ) पु.आ.ज./2019/12655 दिनांक 02.07.2019 द्वारा अवगत कराया है कि जयपुर आयुक्तालय क्षेत्र के पुलिस थाना शास्त्री नगर में दिनांक 01.07.2019 की रात्रि में नाबालिग बच्ची के साथ हुई दुष्कर्म की घटना को लेकर आरोपीयान की गिरफ्तारी एवं मुआवजे की मांगों को लेकर समुदाय विशेष के लोगों द्वारा कानून–व्यवस्था की स्थिति को प्रभावित किये जाने की संभावना है एवं साम्प्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे लोक शांति भंग होने, कानून–व्यवस्था एवं साम्प्रदायिक सद्भाव प्रतिकूल रूप से बाधित होने की प्रबल सम्भावना है। इस आसन्न एवं गम्भीर परिस्थितियों में तत्काल निरोधात्मक कार्यवाही किया जाना आवश्यक है।

उक्त घटना को लेकर धरने, प्रदर्शन के दौरान असामाजिक तत्वों के द्वारा फेसबुक, व्हाटसएम के माध्यम से अफवाहें फैलाकर सामाजिक सद्भाव व कानून व्यवस्था की स्थिति प्रभावित होने, लोक शान्ति भंग होने तथा सामाजिक सौहार्द प्रतिकूल रूप से बाधित होने की आंशका के मध्यनजर पुलिस थाना रामगंज, गलतागेट, माणक चौक, सुभाष चौक, ब्रह्मपुरी, नाहरगढ़, कोतवाली, संजय सर्किल, शास्त्री नगर, भट्टा बस्ती, लालकोठी, आदर्श नगर, व सदर थाना क्षेत्रों में Information technology (Procedure & safeguardsfor blocking of access of information by Public) Rules 2009, read with clause (2) of sub-section (2) of section 87 & 69 A (2) of I.T. Act 2000 के तहत इन्टरनेट सेवा को प्रतिबंधित करने हेतु आदेश ज़ारी किया जाना आवश्यक है।

अतः **पुलिस थाना रामगंज, गलतागेट, माणक चौक, सुभाष चौक, ब्रह्मपुरी, नाहरगढ़, कोतवाली, संजय सर्किल, शास्त्री नगर, भट्टा बस्ती, लालकोठी, आदर्श नगर, व सदर थाना क्षेत्र में** भारत सरकार के संचार मंत्रालय की अधिसूचना (Temporary Suspension of Telecom Services (Public Emergency or Public Safety) Rules- 2017, दिनांक 7.8.2017 के नियम 2(1) के तहत गृह (ग्रुप–9) विभाग, राजस्थान सरकार के पत्रांक : एफ 35(1) होम–9 / 2006 पार्ट दिनांक 2.9.2017 के अंतर्गत दी गई शक्तियों के अनुसरण में, मैं **के.सी. वर्मा, संभागीय आयुक्त, जयपुर संभाग, जयपुर, जयपुर शहर** के उक्त पुलिस थाना क्षेत्रों में 2G / 3G /4G DATA (Mobile Internet), Internet Services, Bulk SMS/ MMS, Whatsapp, Facebook, Twitter & Other Social Media Services through Internet Service providers (Except Voice Calls & broadband Internet) सेवाओं पर 02.07.2019 को दोपहर 2.00 (पी.एम) बजे से दिनांक 03.07.2019 को प्रातः 10.00 (ए.एम.) तक अस्थाई प्रतिबन्ध लागू करता हूँ।

मैं, सभी नागरिकों को इस आदेश की पालना करने एवम् अवहेलना नहीं करने के निर्देश देता हूँ । यदि कोई व्यक्ति, उपर्युक्त प्रतिबंधात्मक आदेशों का उल्लंघन करेगा तो वह सक्षम विधिक प्रावधानों के अन्तर्गत अभियोजित किया जा सकेगा ।

यह आदेश आज दिनांक 02.07.2019 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय की मुद्रा से जारी किया गया है।

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत
अनुरोध प्राप्त

सूचना अधिकारी
संभागीय आयुक्त कार्यालय, जयपुर

(के.सी. वर्मा)
संभागीय आयुक्त
जयपुर

Tel:0141-2201096 Fax : 2206400 email: divcom.jaipur@rajasthan.gov.in Room No. 101, Ground Floor, Mini Secretariat, Jaipur-16

राजस्थान सरकार

कार्यालय संभागीय आयुक्त, जयपुर संभाग, जयपुर

/327

क्रमांक : प. 3 (92) का.व्य./संआज./ 1015-31 दिनांक : 02.07.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर ।
2. अति. मुख्य सचिव, गृह विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर ।
3. शासन सचिव, गृह विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर ।
4. पुलिस आयुक्त, जयपुर को भेजकर लेख है कि इस संबंध में क्षेत्र में संचालित सभी टेलीकॉम कम्पनियों /ऑपरेटर्स से समन्वय स्थापित कर उक्त आदेश की पालना सुनिश्चित की जावें ।
5. महानिरीक्षक पुलिस, जयपुर रेंज, जयपुर।
6. जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, जयपुर।
7. नोडल अधिकारी, टेलीकॉम भारत संचार निगम लिमिटेड, एयरटेल, वोडाफोन, आईडिया, एयरसेल, एम. टी.एस., टाटा, रिलायन्स, जियो आदि को पालनार्थ।
8. जनसम्पर्क अधिकारी, सूचना एवं जनसम्पर्क कार्यालय, जयपुर को व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु ।
9. रक्षित पत्रावली ।

संभागीय आयुक्त
जयपुर

संभागीय आयुक्त
जयपुर

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत
अधिप्रमाणित

सहायक लोक सूचना अधिकारी
संभागीय आयुक्त कार्यालय, जयपुर

Tel: 0141-2201096 Fax : 2206400 email: divcom.jaipur@rajasthan.gov.in Room No. 101, Ground Floor, Mini Secretariat, Jaipur-16

331

राजस्थान सरकार

कार्यालय संभागीय आयुक्त, जयपुर संभाग, जयपुर

क्रमांक : प. 3 (92) का.व्य./संआज / 1032-48 दिनांक: 03.07.2019

आदेश

पुलिस आयुक्त, जयपुर द्वारा पत्र क्रमांक : व–19 ( ) पु.आ.ज./2019/12697 दिनांक 3.07.2019 से अवगत कराया है कि जयपुर आयुक्तालय क्षेत्र के पुलिस थाना शास्त्री नगर में दिनांक 01.07.2019 की रात्रि में नाबालिग बच्ची के साथ हुई दुष्कर्म की घटना को लेकर आरोपीयान की गिरफ्तारी एवं मुआवजे की मांगों को लेकर समुदाय विशेष के लोगों द्वारा कानून–व्यवस्था की स्थिति को प्रभावित किये जाने की संभावना है एवं साम्प्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे लोक शांति भंग होने, कानून–व्यवस्था एवं साम्प्रदायिक सद्भाव प्रतिकूल रूप से बाधित होने की प्रबल सम्भावना है। इस आसन्न एवं गम्भीर परिस्थितियों में तत्काल निरोधात्मक कार्यवाही किया जाना आवश्यक है। शास्त्री नगर थाना इलाके व आसपास के क्षेत्रों में हुये गम्भीर तनाव की पूर्व स्थिति को दृष्टिगत रखते हुये लोकशान्ति, कानून–व्यवस्था एवं साम्प्रदायिक सद्भाव बनाये रखने हेतु पुलिस थाना रामगंज, गलतागेट, माणक चौक, सुभाष चौक, ब्रह्मपुरी, नाहरगढ़, कोतवाली, संजय सर्किल, शास्त्री नगर, भट्टा बस्ती, लालकोठी, आदर्श नगर, व सदर थाना क्षेत्रों में 2G / 3G /4G DATA (Mobile Internet), Internet Services, Bulk SMS/ MMS, Whatsapp, Facebook, Twitter & Other Media Services through Internet Service providers (Except Voice Calls) पर दिनांक 03.07.2019 को प्रातः 10.00 (ए.एम.) बजे से अगले 24 घन्टे के लिये अर्थात दिनांक 04.07.2019 को प्रातः 10.00 (ए.एम.) तक प्रतिबन्ध हेतु आदेश जारी किये जाने का अनुरोध किया है।

उक्त घटना को लेकर धरने, प्रदर्शन के दौरान असामाजिक तत्वों के द्वारा फेसबुक, व्हांटसएम के माध्यम से अफवाहें फैलाकर सामाजिक सद्भाव व कानून व्यवस्था की स्थिति प्रभावित होने, लोक शान्ति भंग होने तथा सामाजिक सौहार्द प्रतिकूल रूप से बाधित होने की आंशका के मध्यनजर पुलिस थाना रामगंज, गलतागेट, माणक चौक, सुभाष चौक, ब्रह्मपुरी, नाहरगढ़, कोतवाली, संजय सर्किल, शास्त्री नगर, भट्टा बस्ती, लालकोठी, आदर्श नगर, व सदर थाना क्षेत्रों में Information technology (Procedure & safeguardsfor blocking of access of information by Public) Rules 2009, read with clause (2) of sub-section (2) of section 87 & 69 A (2) of I.T. Act 2000 के तहत इन्टरनेट सेवा को प्रतिबंधित करने हेतु आदेश जारी किया जाना आवश्यक है।

अतः **पुलिस थाना रामगंज, गलतागेट, माणक चौक, सुभाष चौक, ब्रह्मपुरी, नाहरगढ़, कोतवाली, संजय सर्किल, शास्त्री नगर, भट्टा बस्ती, लालकोठी, आदर्श नगर, व सदर थाना क्षेत्र** में भारत सरकार के संचार मंत्रालय की अधिसूचना (Temporary Suspension of Telecom Services (Public Emergency or Public Safety) Rules-2017, दिनांक 7.8.2017 के नियम 2(1) के तहत गृह (ग्रुप–9) विभाग, राजस्थान सरकार के पत्रांक : एफ 35(1) होम–9 / 2006 पार्ट दिनांक 2.9.2017 के अंतर्गत दी गई शक्तियों के अनुसरण में, **मैं के.सी. वर्मा, संभागीय आयुक्त, जयपुर संभाग**, जयपुर, जयपुर शहर के उक्त

Tel: 0141-2201096 Fax : 2206400 email: divcom.jaipur@rajasthan.gov.in Room No. 101, Ground Floor, Mini Secretariat, Jaipur-16

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत
अधिप्रमाणित

संभागीय आयुक्त
जयपुर

पुलिस थाना क्षेत्रों में 2G / 3G /4G DATA (Mobile Internet), Internet Services, Bulk SMS/ MMS, Whatsapp, Facebook, Twitter & Other Social Media Services through Internet Service providers (Except Voice Calls & Broadband Internet) सेवाओं पर दिनांक 03.07.2019 को प्रातः 10.00 (ए.एम.) बजे से अगले 24 घण्टे के लिये अर्थात दिनांक 04.07.2019 को प्रातः 10.00 (ए.एम.) तक अस्थाई प्रतिबन्ध लागू करता हूँ।

मैं सभी नागरिकों को इस आदेश की पालना करने एवम् अवहेलना नहीं करने के निर्देश देता हूँ। यदि कोई व्यक्ति, उपर्युक्त प्रतिबंधात्मक आदेशों का उल्लंघन करेगा तो वह सक्षम विधिक प्रावधानों के अन्तर्गत अभियोजित किया जा सकेगा ।

यह आदेश आज दिनांक 03.07.2019 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय की मुद्रा से जारी किया गया है।

(के.सी वर्मा)
संभागीय आयुक्त
जयपुर

संभागीय आयुक्त
जयपुर

क्रमांक : प. 3 (92) का.व्य./संआज./1032-48 दिनांक: 03.07.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर ।
2. अति. मुख्य सचिव, गृह विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर ।
3. शासन सचिव, गृह विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर ।
4. पुलिस आयुक्त, जयपुर को भेजकर लेख है कि इस संबंध में क्षेत्र में संचालित सभी टेलीकॉम कम्पनियों /ऑपरेटर्स से समन्वय स्थापित कर उक्त आदेश की पालना सुनिश्चित की जावें ।
5. महानिरीक्षक पुलिस, जयपुर रेंज, जयपुर।
6. जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, जयपुर।
7. नोडल अधिकारी, टेलीकॉम भारत संचार निगम लिमिटेड, एयरटेल, वोडाफोन, आईडिया, एयरसेल, एम.टी.एस., टाटा, रिलायन्स, जियो आदि को पालनार्थ।
8. जनसम्पर्क अधिकारी, सूचना एवं जनसम्पर्क कार्यालय, जयपुर को व्यापक प्रचार–प्रसार हेतु ।
9. रक्षित पत्रावली ।

संभागीय आयुक्त
जयपुर

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत
अधिकारियों

सहायक जनसम्पर्क सूचना अधिकारी
संभागीय आयुक्त कार्यालय, जयपुर

340

सत्यमेव जयते
राजस्थान सरकार

कार्यालय संभागीय आयुक्त, जयपुर संभाग, जयपुर

क्रमांक : प3 (92) का.व्य./संआज./1050-65 दिनांक:- 4.7.19.

आदेश

पुलिस आयुक्त, जयपुर द्वारा पत्र क्रमांक : व-19()पु.आ.ज./2019/12754 दिनांक 04.07.2019 से अवगत कराया है कि जयपुर आयुक्तालय क्षेत्र के पुलिस थाना शास्त्रीनगर में दिनांक 01.07.2019 की रात्रि में नाबालिग बच्ची के साथ हुई दुष्कर्म की घटना को लेकर आरोपीयान की गिरफ्तारी की मांगों को लेकर समुदाय विशेष के लोगों द्वारा कानून-व्यवस्था की स्थिति को प्रभावित किये जाने की संभावना हैं एवं साम्प्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे लोक शांति भंग होने, कानून-व्यवस्था एवं साम्प्रदायिक सद्भाव प्रतिकूल रूप से बाधित होने की प्रबल सम्भावना हैं। इस आसन्न एवं गम्भीर परिस्थितियों में तत्काल निरोधात्मक कार्यवाही किया जाना आवश्यक है। शास्त्रीनगर थाना इलाके व आस पास के क्षेत्रों में हुये गम्भीर तनाव की पूर्व स्थिति को दृष्टिगत रखते हुये लोकशान्ति, कानून-व्यवस्था एवं साम्प्रदायिक सद्भाव बनाये रखने हेतु पुलिस थाना रामगंज, गलतागेट, माणक चौक, सुभाष चौक, ब्रह्मपुरी, नाहरगढ़, कोतवाली, संजय सर्किल, शास्त्रीनगर, भट्टा बस्ती, लालकोठी, आदर्शनगर व सदर थाना क्षेत्रों में 2G/3G/4G DATA (Mobile Internet), Internet Services, Bulk SMS/MMS, Whatsapp, Facebook, Twitter & Other Media Services through Internet Service Providers (Except Voice Calls) पर दिनांक 04.07.2019 को प्रातः 10.00 (ए.एम.) बजे से अगले 24 घण्टे के लिये अर्थात् दिनांक 05.07.2019 को प्रातः 10:00 (ए.एम.) तक प्रतिबन्ध हेतु आदेश जारी किये जाने का अनुरोध किया है।

उक्त घटना को लेकर धरने, प्रदर्शन के दौरान असामाजिक तत्वों के द्वारा फेसबुक, व्हाटसअप के माध्यम से अफवाहें फैलाकर सामाजिक सद्भाव व कानून व्यवस्था की स्थिति प्रभावित होने, लोक शांन्ति भंग होने तथा सामाजिक सौहार्द प्रतिकूल रूप से बाधित होने की आशंका के मध्यनजर पुलिस थाना रामगंज, गलतागेट, माणक चौक, सुभाष चौक, ब्रह्मपुरी, नाहरगढ़, कोतवाली, संजय सर्किल, शास्त्रीनगर, भट्टा बस्ती, लालकोठी, आदर्शनगर व सदर थाना क्षेत्रों में Information technology (Procedure & safeguardsfor blocking of access of information by Public) Rules 2009, read with clause (2) of sub-section (2) of section 87 & 69 A (2) of I.T. Act 2000 के तहत इन्टरनेट सेवा को प्रतिबन्धित करने हेतु आदेश जारी किया जाना आवश्यक है।

अतः पुलिस थाना रामगंज, गलतागेट, माणक चौक, सुभाष चौक, ब्रह्मपुरी, नाहरगढ़, कोतवाली, संजय सर्किल, शास्त्रीनगर, भट्टा बस्ती, लालकोठी, आदर्शनगर व सदर थाना क्षेत्र में भारत सरकार के संचार मंत्रालय की अधिसूचना (Temporary

Tel: 0141-2201096 Fax : 2201400 Email: divcom.jaipur@rajasthan.gov.in Room No. 101, Ground Floor, Mini Secretariat, Jaipur - 16

Suspension of Telecom Services (Public Emergency or Public Safety) Rules-2017, दिनांक 07.08.2017 के नियम 2(1) के तहत गृह (ग्रुप–9) विभाग, राजस्थान सरकार के पत्रांक : एफ35(1)होम–9/2006 पार्ट दिनांक 02.09.2017 के अंतर्गत दी गई शक्तियों के अनुसरण में, मैं **के.सी. वर्मा, संभागीय आयुक्त, जयपुर संभाग, जयपुर**, जयपुर शहर के उक्त पुलिस थाना क्षेत्रों में 2G/3G/4G DATA (Mobile Internet), Internet Services, Bulk SMS/ MMS, Whatsapp, Facebook, Twitter & Other Social Media Services through Internet Service Providers (Except Voice Calls & Broadband Internet) सेवाओं पर दिनांक 04.07.2019 को प्रातः 10.00 (ए.एम.) बजे से अगले 24 घन्टे के लिये अर्थात् 05.07.2019 को प्रातः 10.00 (ए.एम.) तक अस्थाई प्रतिबन्ध लागू करता हूँ।

मैं सभी नागरिकों को इस आदेश की पालना करने एवं अवहेलना नहीं करने के निर्देश देता हूँ। यदि कोई व्यक्ति, उपर्युक्त प्रतिबन्धात्मक आदेशों का उल्लंघन करेगा तो वह सक्षम विधिक प्रावधानों के अन्तर्गत अभियोजित किया जा सकेगा।

यह आदेश आज दिनांक 04.07.2019 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय की मुद्रा से जारी किया गया हैं।

(के.सी. वर्मा) जयपुर
संभागीय आयुक्त
जयपुर।

क्रमांक : प3(92)का.व्य./संआज./1050-65 दिनांकः– 4.7.19.

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. अति. मुख्य सचिव, गृह विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. शासन सचिव, गृह विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. पुलिस आयुक्त, जयपुर को भेजकर लेख है कि इस संबंध में क्षेत्र में संचालित सभी टेलिकॉम कम्पनियों/ऑपरेटर्स से समन्वय स्थापित कर उक्त आदेश की पालना सुनिश्चित की जावें।
5. महानिरीक्षक पुलिस, जयपुर रेंज, जयपुर।
6. जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, जयपुर।
7. नोडल अधिकारी, टेलिकॉम भारत संचार निगम लिमिटेड, एयरटेल, वोडाफोन, आईडिया, एयरसेल, एम.टी.एस., टाटा, रिलायंस, जियो आदि को पालनार्थ।
8. जनसम्पर्क अधिकारी, सूचना एवं जनसम्पर्क कार्यालय, जयपुर को व्यापक प्रचार–प्रसार हेतु।
9. रक्षित पत्रावली।

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अधिप्रमाणित

संभागीय आयुक्त
जयपुर।

Tel: 0141-2201096 Fax : 2206400 Email: divcom.jaipur@rajasthan.gov.in Room No. 101, Ground Floor, Mini Secretariat, Jaipur - 16

342

राजस्थान सरकार

कार्यालय संभागीय आयुक्त, जयपुर संभाग, जयपुर

क्रमांक : प. 3 (92) का.व्य./संआज./1070-85 दिनांक: 05.07.2019

आदेश

पुलिस आयुक्त, जयपुर द्वारा पत्र क्रमांकः व–19 ( ) पु.आ.ज./2019/12832 दिनांक 4.07.2019 से अवगत कराया है कि जयपुर आयुक्तालय क्षेत्र के पुलिस थाना शास्त्री नगर में दिनांक 01.07.2019 की रात्रि में नाबालिग बच्ची के साथ हुई दुष्कर्म की घटना को लेकर आरोपीयान की गिरफ्तारी एवं मुआवजे की मांगों को लेकर समुदाय विशेष के लोगों द्वारा कानून–व्यवस्था की स्थिति को प्रभावित किये जाने की संभावना है एवं साम्प्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे लोक शांति भंग होने, कानून–व्यवस्था एवं साम्प्रदायिक सद्भाव प्रतिकूल रूप से बाधित होने की प्रबल सम्भावना है। इस आसन्न एवं गम्भीर परिस्थितियों में तत्काल निरोधात्मक कार्यवाही किया जाना आवश्यक है। शास्त्री नगर थाना इलाके व आसपास के क्षेत्रों में हुये गम्भीर तनाव की पूर्व स्थिति को दृष्टिगत रखते हुये लोकशान्ति, कानून–व्यवस्था एवं साम्प्रदायिक सद्भाव बनाये रखने हेतु पुलिस थाना **रामगंज, गलतागेट, माणक चौक, सुभाष चौक, ब्रह्मपुरी, नाहरगढ़, कोतवाली, संजय सर्किल, शास्त्री नगर, भट्टा बस्ती, लालकोठी, आदर्श नगर, व सदर थाना क्षेत्रों में 2G / 3G /4G DATA (Mobile Internet), Internet Services, Bulk SMS/ MMS, Whatsapp, Facebook, Twitter & Other Media Services through Internet Service providers (Except Voice Calls) पर दिनांक 05.07.2019 को प्रातः 10.00 (ए.एम.) बजे से अगले 24 घन्टे के लिये अर्थात दिनांक 06.07.2019 को प्रातः 10.00 (ए.एम.) तक प्रतिबन्ध हेतु आदेश जारी किये जाने का अनुरोध किया है ।**

उक्त घटना को लेकर धरने, प्रदर्शन के दौरान असामाजिक तत्वों के द्वारा फेसबुक, व्हाटसएम के माध्यम से अफवाहें फैलाकर सामाजिक सद्भाव व कानून व्यवस्था की स्थिति प्रभावित होने, लोक शान्ति भंग होने तथा सामाजिक सौहार्द प्रतिकूल रूप से बाधित होने की आंशका के मध्यनजर जयपुर शहर के **पुलिस थाना रामगंज, गलतागेट, माणक चौक, सुभाष चौक, ब्रह्मपुरी, नाहरगढ़, कोतवाली, संजय सर्किल, शास्त्री नगर, भट्टा बस्ती, लालकोठी, आदर्श नगर, व सदर थाना क्षेत्रों में Information technology (Procedure & safeguardsfor blocking of access of information by Public) Rules 2009, read with clause (2) of sub-section (2) of section 87 & 69 A (2) of I.T. Act 2000** के तहत इन्टरनेट सेवा को प्रतिबंधित करने हेतु आदेश जारी किया जाना आवश्यक है।

अतः **पुलिस थाना रामगंज, गलतागेट, माणक चौक, सुभाष चौक, ब्रह्मपुरी, नाहरगढ़, कोतवाली, संजय सर्किल, शास्त्री नगर, भट्टा बस्ती, लालकोठी, आदर्श नगर, व सदर थाना क्षेत्र** में भारत सरकार के संचार मंत्रालय की अधिसूचना (Temporary

Tel: 0141-2201096 Fax : 2206400 email: divcom.jaipur@rajasthan.gov.in Room No. 101, Ground Floor, Mini Secretariat, Jaipur-16

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत
अभिप्रमाणित

Suspension of Telecom Services (Public Emergency or Public Safety) Rules- 2017, दिनांक 7.8.2017 के नियम 2(1) के तहत गृह (ग्रुप–9) विभाग, राजस्थान सरकार के पत्रांक : एफ 35(1) होम–9 / 2006 पार्ट दिनांक 2.9.2017 के अंतर्गत दी गई शक्तियों के अनुसरण में, मैं **के.सी. वर्मा, संभागीय आयुक्त, जयपुर संभाग**, जयपुर, जयपुर शहर के उक्त पुलिस थाना क्षेत्रों में 2G / 3G /4G DATA (Mobile Internet), Internet Services, Bulk SMS/ MMS, Whatsapp, Facebook, Twitter & Other Social Media Services through Internet Service providers (Except Voice Calls & broadband Internet) सेवाओं पर दिनांक 05.07.2019 को प्रातः 10.00 (ए.एम.) बजे से अगले 24 घन्टे के लिये अर्थात दिनांक 06.07.2019 को प्रातः 10.00 (ए.एम.) तक अस्थाई प्रतिबन्ध लागू करता हूँ।

मैं सभी नागरिकों को इस आदेश की पालना करने एवम् अवहेलना नहीं करने के निर्देश देता हूँ । यदि कोई व्यक्ति, उपर्युक्त प्रतिबंधात्मक आदेशों का उल्लंघन करेगा तो वह सक्षम विधिक प्रावधानों के अन्तर्गत अभियोजित किया जा सकेगा ।

यह आदेश आज दिनांक 05.07.2019 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय की मुद्रा से जारी किया गया है।

(के.सी वर्मा)
संभागीय आयुक्त
जयपुर

दिनांक: 05.07.2019

कमांक : प. 3 (92) का.व्य./संआज./1070-85

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर ।
2. अति. मुख्य सचिव, गृह विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर ।
3. शासन सचिव, गृह विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर ।
4. पुलिस आयुक्त, जयपुर को भेजकर लेख है कि इस संबंध में क्षेत्र में संचालित सभी टेलीकॉम कम्पनियों /ऑपरेटर्स से समन्वय स्थापित कर उक्त आदेश की पालना सुनिश्चित की जावें ।
5. महानिरीक्षक पुलिस, जयपुर रेंज, जयपुर।
6. जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, जयपुर।
7. नोडल अधिकारी, टेलीकॉम भारत संचार निगम लिमिटेड, एयरटेल, वोडाफोन, आईडिया, एयरसेल, एम.टी.एस., टाटा, रिलायन्स, जियो आदि को पालनार्थ।
8. जनसम्पर्क अधिकारी, सूचना एवं जनसम्पर्क कार्यालय, जयपुर को व्यापक प्रचार–प्रसार हेतु ।
9. रक्षित पत्रावली ।

संभागीय आयुक्त
जयपुर

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत
अधिप्रमाणित

सहायक लोक सूचना अधिकारी
संभागीय आयुक्त कार्यालय, जयपुर